

**IN THE COURT OF HON'BLE ILAQA JUDICIAL MAGISTRATE,
LUDHIANA**

Police Station - Tibba Thana,
Ludhiana

In the Original Case No. SC/846/2017

State Versus Mukesh Thakur and ors.

CRM/ /2019

Mukesh Thakur(aged 29 years), S/o Late Sh. Indrakant Thakur,
R/o H.No.14060, Street No.2, Ram Nagar, Tibba Road,
P.S Tibba Thana Ludhiana.

.....Petitioner

Versus

ASI Swarn Singh(Belt No.839) & ORS.

.....Respondent

INDEX

S. No.	Particulars		Dated	Pages
A.	INDEX		-do-	A
1.	Criminal misc. app		15-01-2019	1-6
2.	Affidavit			7-8
3.	Complaint to Punjab Human Right Commission.	P-1	03.07.2017	9-10
4.	Complaint to Commissioner of Police, Ludhiana.	P-2	03.07.2017	11-12
5.	Complaint to Commissioner of Police, Ludhiana.	P-3	05.07.2017	13-19
6.	Complaint made on 19/8/17 by the mother of petitioner on 181 Helpline	P-4	19.08.2017	20-23
7.	FIR No.343 DT.19/8/2017 P.S Basti Jodhewal, Ludhiana	P-5	19.08.2017	24-28
8.	Complaint to Ld. District & Sessions Judge,	P-6	19.08.2017	29
9.	Complaint to Punjab State Human Right Commission.	P-7	19.08.2017	30-31
10.	Complaint to Commissioner of Police, Ludhiana.	P-8	19.08.2017	32
11.	Complaint Given to Ms. Ekta, JMIC,	P-9	20.08.2017	33-34
12.	Arrest Memo	P-10	19.08.2017	35-36
13.	Order pass by Ms. Ekta, JMIC, regarding not mention time in arrest memo	P-11	20.08.2017	37
14.	Complaint to Punjab State Human Right Commission.	P-12	23.08.2017	38-40
15.	Call Recording	P-13	19.08.2017	41-89
16.	Affidavit given by Sh. Puneet Kumar	P-14		90
17.	MLR of Mukesh Thakur	P-15	20.08.2017	91-92
18.	Seeking Reply from SHO Basti Jodhewal, Ludhiana	P-16	20.08.2017	93
19.	Id Prof of Mukesh Thakur	P-17		94

Dated:- 16/01/2019

Mukesh Thakur
(Mukesh Thakur)
Petitioner in person

8146761055

IN THE COURT OF HON'BLE ILAQA JUDICIAL MAGISTRATE,
LUDHIANA

Police Station - Tibba Thana,
Ludhiana

In the Original Case No. SC/846/2017

State Versus Mukesh Thakur and ors.

CRM/ /2019

Mukesh Thakur(aged 29 years), S/o Late Sh. Indrakant Thakur,
R/o H.No.14060, Street No.2, Ram Nagar, Tibba Road,
P.S Tibba Thana Ludhiana.

...Petitioner

Versus

1. ASI Swarn Singh(Belt No.839), PP-Tibba Chowki,
(now posted at police stations as PS-Tibba) Ludhiana.
2. Sh. Kapil Kumar (Belt No.2201), the then Chowki Incharge- Tibba Chowki,
(Now Police Station as PS-Tibba) Ludhiana
3. Sh. Harpreet Singh, the then ASI, PS-Basti Jodhewal , Ludhiana
4. Kashmir Singh, C (Belt No.3104) PP-Tibba Chowki,
(now police stations as PS-Tibba) Ludhiana;
5. Sulakhan Singh, (Belt No.855) ASI, the then ASI, PS-Basti Jodhewal,
Ludhiana.
6. Vijay Kumar, (Belt No.776) HC, the then ASI, PS-Basti Jodhewal,
Ludhiana.
7. Radhey Sham, (Belt No.2124) HC P.S-Basti Jodhewal,
Ludhiana.
8. Arundeeep Singh, (Belt No.3342) HC P.S-Basti Jodhewal,
Ludhiana.

...Respondents

Petition under Sections 2(b), 2(c) and 15(2) of
Contempt of Courts Act, 1971, for willful
disobedience by the respondent of judicial
decision pronounced by the Hon'ble
Supreme Court of India in the Case of D.K.
Basu v. State of West Bengal.

RESPECTFULLY SHOWETH:

1. That Petitioner is a citizen of India, whistle blower and working as a social activist with Bhristachar Virudh Jagriti Abhiyan, Ludhiana.
2. That the Petitioner had made a complaint to the Punjab State Human Rights Commission on 03/07/2017(Annexure P-1), as well as to the Commissioner of Police Ludhiana(Annexure-P2) against the Respondents for their **act of handcuffing** the petitioner & Sh. Lucky Gupta and of registering a number of fake cases against the petitioner & Sh. Lucky Gupta. On 5-7-2017 the petitioner had made a complaint to Police Commissioner, Ludhiana(Annexure-P3). In response to these complaints, the respondents on 19/08/2017 at about 5:00 - 5.30 am, arrested Sh. Lucky Gupta and thereafter the petitioner. **The mother of the petitioner called at helpline No.181 through mobile No.9803167299 at about 8:27 am (Annexure-P4).**
3. That on 19/08/2017, an FIR No.343/2017 was registered against the petitioner & Sh. Lucky Gupta u/s 379(B) 120B, 506 of IPC at Police Station – Basti Jodhewal, Ludhiana **at about 8:50 am**, i.e. more than 3 hours after the arrest was made (Annexure P5).
- 4- That on 19-8-2017, the mother of the petitioner had also made complaint to Ld. District & Sessions Judge(Annexure –P6), Punjab State Human Right Commission(Annexure-P7) and Police Commissioner Ludhiana(Annexure –P8).
- 5- That on 20-8-2017 the mother of the petitioner had also made complaint to Ms. Ekta, JMIC, Duty Magistrate at Ludhiana, while producing the petitioner & Sh. Lucky Gupta before the Duty Magistrate(Annexure-P9).
6. **That the respondents in the present case have violated the following provisions that are essential to an arrest:**
 - Time of Arrest on the Arrest Memo;
 - To inform a friend or relative of the arrest;
 - To present the arrestee in front of a Magistrate within 24 hours of Arrest.
7. **Firstly**, the Police who had a Constitutional and Statutory of preparing an Arrest Memos, with the inclusion of all the ingredients that have been laid

down by the Hon'ble Supreme Court of India in the case *D. K. Basu v. State of West Bengal (1997 1 SCC 416)*, which is reproduced hereinbelow:

"In addition to the be statutory and constitutional requirements to which we have made a reference, we are of the view that it would be useful and effective to structure appropriate machinery for contemporaneous recording and notification of all cases of arrest and detention to bring in transparency and accountability. It is desirable that the officer arresting a person should prepare a memo of his arrest on witness who may be a member of the family of the arrestee or a respectable person of the locality from where the arrest is made. The date and time of arrest shall be recorded in The memo which must also be counter signed by The arrestee.

We therefore, consider it appropriate to issue the following requirements to be followed in all cases of arrest or detention till legal provisions are made in that behalf as preventive measures :

(1) The police personnel carrying out the arrest and handling the interrogation of the arrestee should bear accurate, visible and clear identification and name tags with their designations. The particulars of all such police personnel who handle interrogation of the arrestee must be recorded in a register.

(2) That the police officer carrying out the arrest of the arrestee shall prepare a memo of arrest at the time of arrest a such memo shall be attested by atleast one witness. who may be either a member of the family of the arrestee or a respectable person of the locality from where the arrest is made. It shall also be counter signed by the arrestee and shall contain the time and date of arrest."

8. The Respondents, while preparing the Arrest Memo, did not mention the time of arrest of the Petitioner (**Annexure P-10**), and this fact was acknowledged by Ms. Ekta, JMIC (Duty), Ludhiana, in her order dated 20.08.2017 (**Annexure P-11**) thereby, violating the guidelines given by the Hon'ble Supreme Court of India. Additionally, the Respondents arrested the petitioner and Sh. Lucky Gupta at around 5:00- 5:30 a.m., from his house on 19-8-2017, and the First Information Report in the case was lodged at 8:50 a.m., later that morning. It is submitted that even before the FIR was lodged, **the mother of the Petitioner called at help line No. 181 through mobile No. 9803167299 at about 8:27 am (Annexure-P4) vide Complaint No. 1812690**, pointing out clearly to the fact that the arrest made out of the petitioner and Sh. Lucky Gupta was with a corrupt and a

malicious intent. No investigation of any sort was done prior to making the arrest, which is an essential ingredient so as to determine the liability of the person being arrested. Furthermore, the General Diary Report was entered later that day in the evening at 18:55pm. Mother of petitioner had also made complaint regarding preserve the CCTV footage, mobile location of police officials, the petitioner, Sh. Lucky@Jaihind Gupta and Joginder Singh(Annexure -12)

9. Additionally, the mother of the Petitioner filed a complaint to the Commissioner of Police, Punjab State Human Right Commission, District and Sessions Judge, Ludhiana on 19.08.2017 itself with regards to the illegal arrest that was carried out against the Petitioner (Annexure P-6,7 and 8). The wife and the mother of the petitioner continuously called several authorities from 6:00am to 8:27am regarding the illegal arrest of the petitioner (Annexure P-13).
10. **Secondly**, the Respondents have mentioned the name of Puneet Kumar in the Arrest Memo as the friend of the arrestee who was informed about the arrest. However, Mr. Puneet Kumar has stated in his affidavit (Annexure P-14) that he was never informed about the arrest of the petitioner by the police, thereby violating Section 41-B of the Code of Criminal Procedure, 1873, as well as the judgement of the hon'ble Supreme Court.
11. **Thirdly**, the Respondents were under a Constitutional obligation under Article 22 of the Constitution of India to present the arrestee in front of a Magistrate within 24 hours of the arrest. However, the arrestee and Sh. Lucky Gupta was presented in front of a Magistrate after more than 30 hours of arrest. This is proved as the medical of the petitioner was done at 4:55 pm on 20.08.2017(Annexure P-15), after the order of the Magistrate was given at 4 pm on 20.08.2017 (Annexure P-16). Therefore, after being arrested at 5- 5:30 am on 19.08.2017, the petitioner was brought in front of a Magistrate at 4 pm, 20.08.2017, i.e. after 34 hours of arrest, thereby violating the Fundamental Right of the petitioner as well.
12. Therefore, these facts clearly point out to the fact that the respondents, in this case, misused their authority of being a public official and made the illegal arrest of the Petitioner with a corrupt and malicious intent and thus, made themselves liable to be prosecute under Section 220 of the Indian Penal code, 1860.
13. Additionally, the Hon'ble Supreme Court has laid down in the same judgement of *D. K. Basu v. State of West Bengal (1997 1 SCC 416)* that:

"Failure to comply with the requirements hereinabove mentioned shall apart from rendering the concerned official liable for departmental action, also render him liable to be punished for contempt of court and the proceedings for contempt of court may be instituted in any High Court of the country, having territorial jurisdiction over the matter.

The requirements, referred to above flow from Articles 21 and 22 (1) of the Constitution and need to be strictly followed. These would apply with equal force to the other governmental agencies also to which a reference has been made earlier.

These requirements are in addition to the constitutional and statutory safeguards and do not detract from various other directions given by the courts from time to time in connection with the safeguarding of the rights and dignity of the arrestee."

Therefore, it is submitted that because the Respondents failed to fulfill all the ingredients that are essential to an arrest, they have made themselves liable under the Contempt of Courts Act, 1971.

PRAYER

1. It is hence, respectfully prayed, that after taking the statement of the Respondents, a reference may please be made to the Hon'ble Punjab and Haryana High Court under Section 15(2) of the Contempt of Courts Act, 1971 to initiate Criminal Contempt against the Respondents under Sections 2(b) and 2(c) of the Contempt of Courts Act for:
 - i. Not mentioning the time of arrest on the Arrest Memo;
 - ii. Not informing the friend of the arrestee of the arrest; and
 - iii. Not producing the arrestee in front of a Magistrate within 24 hours of arrest.
2. It is also prayed that the Petitioners may please be awarded each a compensation of Rs. 5 Lakhs from each of the Respondent under Section 357(3) of the Code of Criminal Procedure, 1973, for mental agony suffered by the Petitioner, in conformity of the law laid down by the Hon'ble Supreme Court in number of cases awarding compensation for the infringement of the fundamental right to life of a citizen. (D.K. Basu v. State of West Bengal (1997 1 SCC 416); Rudal Shah Vs. State of Bihar [1983 (4) SCC, 141]; Sebastian M. Hongrey Vs. Union of India [1984 (3) SCC, 339] and 1984 (3) SCC, 82]; Bhim Singh Vs State of J & K [1984

(Supp) SCC, 504 and 1985 (4) SCC, 677] Saheli Vs. Commissioner of Police, Delhi [1990 (1) SCC 422]

3. Any other relief that the Court deems fit.

Place: Ludhiana

Date: 16/01/2019

Petitioner

Mukesh Thakur

(Mukesh Thakur)

Petitioner in Person

Verification:

It is verified that all the contents of the Complaint are true and correct to the best of knowledge as my client declared before me. No part of it is false and nothing material has been kept concealed therefrom.

Place: Ludhiana

Date: 16/01/2019

Petitioner

Mukesh Thakur

(Mukesh Thakur)

Petitioner in Person

**IN THE COURT OF HON'BLE ILAQA JUDICIAL MAGISTRATE,
LUDHIANA**

Police Station Tibba Thana,
Ludhiana

In the Original Case No. SC/846/2017

In State Versus Mukesh and ors.

CRM/ /2019

**Mukesh Thakur(aged 29 years), S/o Late Sh. Indrakant Thakur,
R/o H.No.14060, Street No.2, Ram Nagar, Tibba Road,
P.S Tibba Thana Ludhiana.**

...Petitioner

Versus

- 1. ASI Swarn Singh(Belt No.839), PP-Tibba Chowki,
(now posted at police stations as PS-Tibba) Ludhiana.**
- 2. Sh.Kapil Kumar (Belt No.2201), the then Chowki Incharge- Tibba
Chowki, (Now Police Station as PS-Tibba) Ludhiana.**
- 3. Sh.Harpreet Singh, the then ASI, PS-Basti Jodhewal , Ludhiana**
- 4. Kashmir Singh, C (Belt No.3104) PP-Tibba Chowki,
(now police stations as PS-Tibba) Ludhiana;**
- 5. Sulakhan Singh, (Belt No.855) ASI, the then ASI, PS-Basti Jodhewal,
Ludhiana.**
- 6. Vijay Kumar, (Belt No.776) HC, the then ASI, PS-Basti Jodhewal,
Ludhiana.**
- 7. Radhey Sham, (Belt No.2124) HC P.S-Basti Jodhewal,
Ludhiana.**
- 8. Arundeep Singh, (Belt No.3342) HC P.S-Basti Jodhewal,
Ludhiana.**

...Respondents

**Affidavit- Mukesh Thakur(aged 29 years), S/o Late Sh. Indrakant Thakur,
R/o H.No.14060, Street No.2, Ram Nagar Tibba Road, P.S.-Tibba
Thana, Ludhiana.**

I, the above named deponent do hereby solemnly affirm and declare as under:-

That the contents of the Complaint are true and correct to my knowledge.
No part of it is false and nothing has been kept concealed there from.

Ludhiana

Dated: 16/01/2019

Mukesh Thakur

(Mukesh Thakur)

Deponent

Verification:-

Verified that the contents of above affidavit are true and correct to the best
of my knowledge. No part of it, is false and nothing has been kept concealed
therefrom.

Ludhiana

Dated: 16/01/2019

Mukesh Thakur

(Mukesh Thakur)

Deponent

P-1 (9)

दिनांक : 03.07.2017

मानवाधिकार आयोग
C.O. NO. 20-21-22, सेक्टर-34-A,
चंद्रमह - 160034

विषय: पुलिस अधिकारी द्वारा दबंगों के साथ मिलकर झूठी F.I.R. के पीड़ितों को हथकड़ी पहनाकर मौहल्ले में घुमाने के मामले में मानवाधिकार के हनन के अंतर्गत कार्यवाही ग्रिथे जाने हेतु।

महोदय,

मैं चंद्रकला ठाकुर पति स्व. इंद्रकांत ठाकुर (पता: मकान नं. 14060, गली नं. 2, राम नगर, टिब्बा रोड, लुधियाना - 141007 Mob. 79735-71454) हूँ।

1. मेरे बेटे मुकेश ठाकुर व पीड़ित लकी उर्फ जयहिंद के खिलाफ पुलिस की मिलीभगत से झूठी F.I.R. नं. 236/2017 दिनांक 23.06.2017 को दर्ज की गई है जिनको 24.06.2017 को मजिस्ट्रेट कोर्ट न. ^{Duty} Magistrate में पेश किया गया था जहाँ से 2.00pm बजे के आसपास ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजने का आदेश दिया गया था मगर मजिस्ट्रेट का आदेश ट्रेन व वायजुद सीधा जेल में ना पहुँचाकर अमृतपाल सिंह उर्फ चिक्की व सुखदेव सिंह के कहने पर पुलिस के अधिकारियों A.S.I. स्वर्ण सिंह व साथी हवलदार ने मेरे बेटे मुकेश व पीड़ित लकी उर्फ जयहिंद को हथकड़ियाँ लगाकर दिनांक 24.06.2017 की शाम को लगभग 4.30pm से 6.30pm बजे के बीच में मौहल्ले में घुमाया जिससे उनके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ व पीड़ा हुई इसलिये पुलिस अधिकारियों A.S.I. स्वर्ण सिंह व साथी हवलदार के खिलाफ मानवाधिकार के हनन के अंतर्गत सख्त से सख्त कार्यवाही की जाये।
2. इस घटना के कई गवाह हैं मगर अमृतपाल सिंह उर्फ चिक्की, सुखदेव सिंह व पुलिस के डर की वजह से कोई सामने आने के लिये तैयार नहीं हो रहा है। इस मौहल्ले में जैन कंपनी (गली नं. 2, राम नगर, टिब्बा रोड, लुधियाना - 141007) भी मौजूद है जहाँ आने-जाने के रास्ते में CCTV कैमरे लगे हैं जिससे आनेजाने वालों की पहचान हो सकती है जिससे

सुखदेव सिंह, लकी उर्फ जयहिंद
अमृतपाल सिंह, मुकेश ठाकुर
दिनांक 03.07.2017
स्थान चंद्रमह

9-2 (11)
दिनांक : 03.07.2017

शेना में,

1. पुलिस महानिदेशक (DGP)
पंजाब पुलिस हेड क्वार्टर्स,
सेक्टर 9, चंडीगढ़ - 160009
2. पुलिस कमिश्नर, लुधियाना
मिनी सेन्ट्रलरियेट, फिरोजपुर रोड,
लुधियाना - 141001

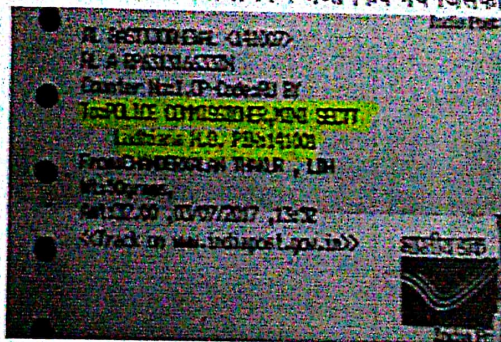
विषय: पुलिस अधिकारी द्वारा दबंगों के साथ मिलकर झूठी F.I.R. के पीड़ितों को हथकड़ी पहनाकर मौहल्ले में घुमाने के मामले में मानवाधिकार के हनन के अंतर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु।

महोदय,

मैं चंद्रकला ठाकुर पत्रि स्व. इंद्रकांत ठाकुर (पता: मकान नं. 14060, गली नं. 2, राम नगर, टिब्बा रोड, लुधियाना - 141007 Mob. 79735-71454) हूँ।

1. मेरे बेटे मुकेश ठाकुर व पीड़ित लकी उर्फ जयहिंद के खिलाफ पुलिस की मिलीभगत से झूठी F.I.R. नं. 236/2017 दिनांक 23.06.2017 को दर्ज की गई है जिनको 24.06.2017 को मजिस्ट्रेट कोर्ट न. ^{Duty} Magistrate में पेश किया गया था जहाँ से 2.00pm बजे के आसपास ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजने का आदेश दिया गया था। मगर मजिस्ट्रेट का आदेश होने के बावजूद सीधा जेल में ना पहुँचाकर अमृतपाल सिंह उर्फ विकी व सुखदेव सिंह के कहने पर पुलिस के अधिकारियों A.S.I. स्वर्ण सिंह व साथी हवलदार ने मेरे बेटे मुकेश व पीड़ित लकी उर्फ जयहिंद को हथकड़ियाँ लगाकर दिनांक 24.06.2017 की शाम को लगभग 4.30pm से 6.30pm बजे के बीच में मौहल्ले में घुमाया जिससे उनके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ व पीड़ा हुई इसलिये पुलिस अधिकारियों A.S.I. स्वर्ण सिंह व साथी हवलदार के खिलाफ मानवाधिकार के हनन के अंतर्गत सख्त से सख्त कार्यवाही की जाये।

2. इस घटना के कई मवाद हैं मगर अमृतपाल सिंह उर्फ बिडी, सुखदेव सिंह व पुलिस के डर की वजह से कोई सामने आने के लिये तैयार नहीं हो रहा है। इस मोहम्मद में जैन कंपनी (मली नं. 2, राम नगर, टिब्बा रोड, मुधियाना - 141007) भी मौजूद है जहाँ आने-जाने के रास्ते में CCTV कैमरे लगे हैं जिससे आने-जाने वालों की पहचान हो सकती है जिसमें हरेक वाक्या साफ दिखाई दे सकता है। मेरे द्वारा कंपनी के मालिक से निवेदन भी किया गया था कि वह CCTV फुटेज दे मगर पुलिस के दबाव में उनके द्वारा CCTV फुटेज नहीं दी गई इसलिये दिनांक 24.06.2017 की शाम 4.30pm से 6.30pm बजे तक की CCTV फुटेज जल्द करवाई जाये जिससे पुलिस द्वारा किये गये अपराध के सबूत नष्ट ना हो सकें।
3. ज्ञात हो कि, असल मामले को दवाने के लिये अमृतपाल सिंह उर्फ बिडी व सुखदेव सिंह ने पुलिस के साथ मिलकर झूठी F.I.R. नं. 236/2017 दिनांक 23.06.2017 दर्ज करवाई है।
4. पुलिस के द्वारा हथकड़ी पहना कर घुमाना सुप्रीम कोर्ट के संविधान का हनन है साथ ही मानवाधिकार का भी हनन है।
5. लकी उर्फ जयहिंद की क्लीनिक से CCTV Camera व प्रिंटर के साथ-साथ अन्य कीमती सामान बिना पंचनामा किये जप्त किये गये जिसको रिकॉर्ड पर भी नहीं लिया गया है।



चंद्रकला ठाकुर

चंद्रकला ठाकुर

Mob. 79735-71454

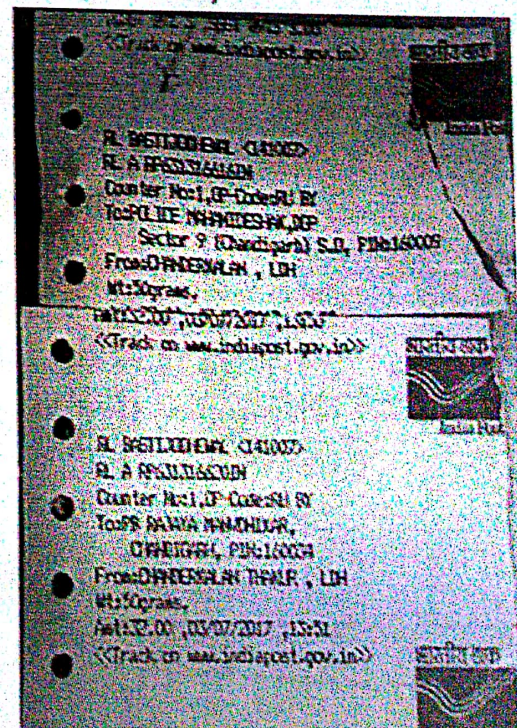
(शिकायतकर्ता)

संलग्न दस्तावेज़:

- झूठी आरोपों के आधार पर दर्ज F.I.R. की कॉपी
- जेल वॉरंट

प्रतिलिपी:

- पुलिस महानिदेशक, पंजाब
- पुलिस कमिश्नर, लुधियाना



दिनांक : 05.07.2017/8

सेवा में,

पुलिस कमिश्नर, लुधियाना
मिनी सेक्रेटेरियेट, फिरोजपुर रोड,
लुधियाना - 141001

विषय: कलम 190/200 फौजदारी प्रक्रिया कोड के तहत फरियाद

फरियादी : मुकेश ठाकुर (लुधियाना जेल से)
निवासी: मकान नंबर 14060, गली नं. 2, राम नगर,
टिब्बा रोड, लुधियाना, पंजाब - 141007

विरुद्ध

आरोपी नं. 1 : अमृतपाल सिंह उर्फ विक्री
निवासी: मकान नंबर 14047, गली नंबर 2,
मोहल्ला राम नगर, टिब्बा रोड, लुधियाना
मोब. 99888 - 50660

आरोपी नं. 2 : सुखदेव सिंह
निवासी: मकान नंबर 14047, गली नंबर 2,
मोहल्ला राम नगर, टिब्बा रोड, लुधियाना
मोब. 98888 - 99908

आरोपी नं. 3 : नवनीत कौर पुत्री जोगिंदर सिंह
(आरोपी अमृतपाल सिंह उर्फ विक्री और सुखदेव सिंह की बहन)
निवासी: मकान नंबर 14047, गली नंबर 2,
मोहल्ला राम नगर, टिब्बा रोड, लुधियाना
मोब. 99146 34353

आरोपी नं. 4 : स्वर्ण सिंह A.S.I. (P.S. बस्ती जोधवाल, लुधियाना)

आरोपी नं. 5 : इंस्पेक्टर गुरविंदर सिंह SHO (P.S. बस्ती जोधवाल, लुधियाना)
मोब. 7837018615

Attested Copy of Photostat Copy

Page 1 of 7

31119
Examiner/PSHRC

आरोपी नं. 6 : सचिन गुप्ता ACP/North, लुधियाना.
 आरोपी नं. 7 : पी.एस. जेम्स SHO (P.S. दिव्यीजन नं. 1, लुधियाना)
 मोब. 7837018601

मैं मुकेश ठाकुर पुत्र इंदरनाथ ठाकुर (पता: 14060, गली नं. 2, राम नगर, टिब्बा रोड, लुधियाना, पंजाब - 141007) हूँ मैं और पीड़ित लकी उर्फ जयहिंद (पता: मकान नं. 14119, गली नं. 2, टिब्बा रोड, लुधियाना के ऊपर झूठी F.I.R. 236/2017 दिनांक 23.06.2017 के दिनांक IPC u/s 384, 420, 511, 500, 120(बी), 34 के तहत दर्ज की गई है, पूरा मामला निम्नानुसार है:

1. परयादी के पास पीड़ित शिकायत लेकर आया कि, पीड़ित लकी उर्फ जयहिंद ने दिनांक 20.04.2017 को जब देखा कि उसके खाते से 11861 रुपए गैर - कानूनी तरीके से निकाल लिए गए तो पीड़ित लकी उर्फ जयहिंद द्वारा इस गैर - कानूनी तरीके से निकाले गये रुपये की शिकायत दि. 3/5/2017 को ए.सी.पी. ऑफिस में दी गई जिसका शिकायत नं. 1088928 (559 - 5c) है मगर कोई कार्यवाही नहीं हुई फिर NGO के सहयोग से Paytm के ऑफिस (नोएडा) में जाकर गैर - कानूनी तरीके से निकाली गई रकम के ट्रान्जेक्शन के बारे में जानकारी मांगी गई जिसके मिलने के बाद पीड़ित उगे लेकर वापस पुलिस थाने बस्ती जोधवाल गया और नई शिकायत दी मगर पुरानी शिकायत दी जान न वजह से नई शिकायत नहीं ली गई जिसके बाद पुलिस कमिश्नर लुधियाना को नई शिकायत पीड़ित लकी उर्फ जयहिंद द्वारा दि. 22/05/2017 को दी गई जिसका नं. 114070 है।
2. जब देखा की शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है तो बैंक जाकर जिस बैंक खाते नंबर में पैसा गैरकानूनी तरीके से लिया गया था उसके नाम व पते की जानकारी बैंक मैनेजर से मांगी गई, काफी समझाने के बाद जाकर मैनेजर ने खाताधारक का नाम व पता बताया जिसमे पता चला कि यह अमृतपाल सिंह उर्फ विकी है। जब अमृतपाल सिंह उर्फ विकी (मोब. 99888 - 50660 पता: मकान नं. 14047, गली नं. 2, राम नगर, टिब्बा रोड, लुधियाना) से इस मामले में पूछा गया तो वह साफ मुकरने लगा पर जब सामने सबूत दिखाए तो वह यह देख कर समझ गया कि, 'मैं फंस गया हूँ' तो उसने अपने इंस्पेक्टर भाई मुखदेव सिंह (जो पंजाब सरकार के अधीन फूड एंड सप्लाय विभाग, बटाला (गुरदासपुर) में वनौर इंस्पेक्टर तैनात है) को बुलाकर धमकियां देने की कोशिश की मगर गंगठन का उगूल है कि, 'अपराध खत्म करना है ना कि अपराधी को' अगर कोई अपराधी गलती से था नारायणी और बहकावे में गुमराह होते हुये कोई जुर्म कर बैठता है तो परिस्थिती को

Attested Copy of Photostat Copy
 Examiner PSHRC

समझते हुए उससे स्टैम्प पेपर पर माफीनामा लिखवाते हुए मूल मुकदमा की भरपाई होने वाले खर्च के साथ जोड़ कर ले ली जाए जिससे आरोपी अपराध करने के बारे में दुबारा ना सोचे जिसकी स्टैम्प पेपर पर पूरी लिखा - पढ़ी की जाती है। जैसा कि संगठन द्वारा अन्य मामलों में किया जाता है (उदाहरण के रूप में दो माफीनामा दिया जा रहा है)।

3. मगर यहाँ पर अपराधी, बनाम अभूतपाल सिंह उर्फ बिन्नी और उसका भाई मुखदेव सिंह अपराध करने के बाद भी पीड़ित को धमकियां दे रहा था और मुंडागर्दी करने की कोशिश कर रहा था जब संगठन द्वारा राजीनामा के समय पैसों की अपेक्षा आरोपी के बैंक स्टेटमेंट के बारे में ही बात की गई, ताकि अपराधी ने ऐसा छल - कपट करके बिलाने लोगों को नुस्त उमका पता चल सके लेकिन बैंक स्टेटमेंट नहीं दिया गया (जिससे अगर किसी और के साथ धोखाधड़ी की गई हो तो यह मामला सीधे पुलिस स्टेशन में दिया जाए अन्यथा पहला अपराध समझ कर माफ करते हुये पीड़ित के हुये खर्च को मिलाकर पीड़ित के साथ की गई धोखाधड़ी की रकम दी जाए) मगर बैंक स्टेटमेंट का नाम लेते ही पीड़ित के भाई द्वारा धमकियां दी जाने लगी और कहा गया कि, "मैं कमिश्नर के साथ बैठकर दारु पीता हूँ और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अतः मैं यह 40,000 देता हूँ और जल्द ही बैंक स्टेटमेंट भी दे दूंगा" कह कर उसने रु. 20,000/- तुरंत दिए और बाद में ध्यान रखने के लिये उसके द्वारा सादे कागज पर पंजाबी में लिखकर लिया गया और यह कहकर चले गए कि, बैंक स्टेटमेंट लेकर आते हैं क्योंकि संगठन द्वारा स्टैम्प पेपर पर ही आरोपी का राजीनामा/माफीनामा लिखवा कर लिया जाता है इसलिये कागज पर केवल रजम प्राप्ति में संबंधित ही लिखा गया था जिससे बाद में पूर्ण विवरण के साथ स्टैम्प पेपर पर लिखा जा सके।
4. जब देखा कि, आरोपी अभूतपाल सिंह उर्फ बिन्नी और उसका भाई मुखदेव सिंह बैंक स्टेटमेंट लेकर नहीं आये तो यह गिद्ध हो गया कि, आरोपी अपने वादे से मुकर गये हैं जिसकी वजह से संगठन वह राजीनामा जो स्टैम्प पेपर पर बनावाया जाना था वह नहीं बनवा पाया 'जात रहे कि संगठन अपने पास आये किसी भी मामले को बंद करने से पहले दोषी से माफीनामा लिखवा कर अवश्य लेता है।' आरोपियों द्वारा बैंक स्टेटमेंट नहीं देना यह प्रमाणित करता था कि, आरोपियों द्वारा कई लोगों के साथ छल - कपट करके धोखाधड़ी की गई है और बैंक स्टेटमेंट से आरोपी के अन्य अपराध भी उजागर हो जाते। अतः हमारे लिए अपराधी द्वारा भविष्य में किये जाने वाले अन्य अपराधों को रोकने के लिए इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को देना जरूरी हो गया था जिससे पुलिस आवश्यक कार्रवाई करे और अपराधी को मजबूत कर रही थी क्योंकि अपराधी के भाई द्वारा धमकियां देते हुए यह कहा गया था कि,

16

"मैं कमिश्नर के साथ बैठकर दारू पीता हूँ मेरा कोई कुल्ल नहीं बिगाड़ सकता, मैंने अमीर मकान खरीदा है जो मूल कीमत से भी 50 हजार अधिक देकर खरीदा है" इस प्रकार की धमकियाँ अपराधी अमृतपाल सिंह उर्फ विकी व उसके भाई सुखदेव सिंह की मानसिकता को पूरी तरह आपराधिक दिखा रही थी, अमृतपाल उर्फ विकी सबूतों के बिनाह पर अपराधी साबित हो ही रहा था साथ ही उसके भाई सुखदेव सिंह द्वारा हमें दी गई धमकियाँ साफ - साफ उसकी आपराधिक मानसिकता व भ्रष्टाचार को दर्शा रही थीं, इस तरह पुलिस के साथ मिलकर षडयंत्र रचा गया।

5. अपराधियों ने Paytm से गैर - कानूनी तरीके से कई लोगों की रकम निकाली हो सकती है अतः इसकी जाँच करवाना अति आवश्यक है। हमारी शिकायत पहले ही सबूतों के साथ दिए जाने के बावजूद FIR दर्ज न करना पुलिस स्टेशन के भ्रष्टाचार को साफ - साफ दर्शा रहा है अतः मेरी शिकायत ली जाए और उसपर उचित धाराओं के साथ FIR दर्ज करके कार्यवाही की जाये।
6. आरोपियों द्वारा यह धमकी भी दी गई थी कि, 'वे लड़की के द्वारा हमें फसाँयेंगे' जिससे आरोपियों ने अपनी बहन का इस्तेमाल करके व झूठा आरोप लगाकर साबित भी कर दिया। यह मामला डिवीजन नं. 1 (कोतवाली थाने) में दिनांक 21.06.2017 को दर्ज हुआ जो केवल शिकायत व मैडिकल रिपोर्ट के आधार पर बना दिया गया जबकि घटनास्थल थाने से 5 मिनट की दूरी पर ही है मगर जाँच अधिकारी ने घटना स्थल पर पहुंच कर आवश्यक प्राथमिक जानकारी लिए बिना ही हम लोगों को रात भर हवालात में रखा जिसके बाद हमें दूसरे दिन जमानत लेनी पड़ी। इस तरह Whistle Blower Act का भी उल्लंघन किया और झूठे केस में फँसाया गया।
7. डिवीजन नं. 1 (कोतवाली थाने) में हम पर दर्ज झूठे मामले में नवनीत कौर पुत्री जोगिंदर सिंह (आरोपी अमृतपाल सिंह उर्फ विकी और सुखदेव सिंह की बहन, निवासी: मकान नंबर 14047, गली नंबर 2, मोहल्ला राम नगर, टिब्बा रोड, लुधियाना), दर्ज शिकायत पर एक जाँच अधिकारी हल्की सी भी नजर डालेगा तो वह केवल मैडिको लीगल रिपोर्ट और बयान को पढ़ कर ही इस शिकायत को झूठा करार दे देगा क्योंकि दोनों एक - दूसरे के विपरीत हैं मैडिको लीगल रिपोर्ट में साफ - साफ लिखा है कि खून नहीं निकला जबकि शिकायत में दर्ज किया गया है कि, तेज़ धारदार हथियार से मारा गया व खून निकला। मैडिको लीगल रिपोर्ट में शरीर पर दो जगह हमला हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है,
 - a. सामने से दाहिने तरफ के कान पर हमला, ऐसा नजर आ रहा है
 - b. पीछे से बायें कंधे पर हमला किया गया, ऐसा नजर आ रहा है

Attested Copy of Photostat Copy

3/11/19
Examiner/PSHRC

Page 4 of 7

17

c. जबकि शिकायतकर्ता के बयान में केवल पीछे से एक ही बार हमला किया गया दर्ज है।

8. यह मामला भी पूरी तरीके से फर्जी है क्योंकि उस वक्त मैं अपने ऑफिस में 9:30am में मौजूद था जिसकी गवाही मेरी कंपनी के मालिक ने भी पुलिस थाने में दी थी मगर जॉन अधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार की आवश्यक प्राथमिक जांच किए बिना मामला दर्ज करवा दिये हमें हवालात में बंद किया गया जबकि लकी उर्फ जयहिंद उस वक्त (लगभग 11.00 बजे से 1.00 बजे तक) Nauhria's Multispeciality Hospital (पता: HIG - 452, जमालपुर कॉलोनी, लुधियाना मोब. 98140 - 22165, 98140 - 22798), में मेरी मम्मी चंद्रकला ठाकुर की इलाज के लिये मेरी मम्मी व बहन नीलम झा के साथ मौजूद था जिसकी पुष्टि करने के लिये जमालपुरा अस्पताल में दिनांक 21.06.2017 को 11.00 बजे से 1.00 बजे के बीच की CCTV फुटेज देखकर की जा सकती है। ज्ञात हो कि, यह मामला डॉ. रिनी जोहर मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गए निर्देशों का भी उल्लंघन है।

नोट: a. तुरंत ही Nauhria's Multispeciality Hospital से दिनांक 21.06.2017 को 11.00am बजे से 1.00am बजे तक के CCTV फुटेज सील करवाने की व्यवस्था करवाई जाये जिससे पीड़ित को निरदोष साबित करनेवाला महत्वपूर्ण सबूत नष्ट ना हो सके।

b. घटना वाले दिन दिनांक 21.06.2017 को 11.00 बजे से 1.00am बजे तक का 'रेकी सिनेमा व बैंक ऑफ इंडिया (जोनल ब्रांच) से लेकर पुरानी कचहरी की ओर जाने वाले ब्रिज' पर चढ़ते समय वाली जगह पर लगे दोनों सरकारी कैमरों की CCTV फुटेज ली जाये साथ ही ब्रिज खत्म होते समय के भी सभी सरकारी कैमरों की CCTV फुटेज सील करवा ली जाये।

9. यह पूरा मामला भ्रष्टाचार व धोखाधड़ी से संबंधित है जो प्रधानमंत्री मोदी के कैशलेस म्काम पर भी कुटाराघात कर रहा है क्योंकि यह सभी अपराध एक दूसरे से जुड़े हुए हैं अतः मैं चाहता हूँ कि एक विशेष पुलिस जाँच टीम का गठन करते हुये इस पूरे मामले की जाँच की जाये जिसमें दापी पुलिस कर्मचारियों व अपराधियों को सजा मिला सके। इस मामले में अपराधी अमृतपाल सिंह उर्फ विकी के बैंक स्टेटमेंट के आधार पर अन्य अपराधों की जाँच तो की ही जाये साथ ही आरोपी के धमकी देने वाले इंस्पेक्टर भाई सुखदेव सिंह का फॉरेंसिक ऑडिट करवाने हुये उसके सभी बैंक खातों के साथ-साथ खरीदी गई संपत्तियों की भी जाँच करवाई

Attested Copy of Photostat Copy
31/1/19
Examiner PSHRC

जागे जिसमे अगर धमकी देने वाला इंस्पेक्टर भाई सुखदेव सिंह भद्राचारी व गन्धर्व सावित हो तो उसको सजा दी जा मके।

10. फरयादी को झूठे केस में फँसाने के लिये पुलिस के साथ मिलकर झूठा केस किया गया। परिणामस्वरूप निम्नलिखित तौर से परेशान किया गया:

- मैजिस्ट्रेट ने भी पुलिस से कोई शिकायत हे की नहीं, ये भी नहीं पृछा
- ज्युडिशियल कस्टडी के आदेश के बाद फूड इंस्पेक्टर सुखदेव सिंह के कहने से पुलिस ने फरयादी व पीडित को गैरकानूनी तरीके से हथकड़ी लगाकर मोहल्ले में बदनामी करने हेतु व सुखदेव सिंह की दहशत कायम करने हेतु घुमाया।
- पीडित के कार्यालय से CCTV कैमरा व उससे संबंधित पार्ट्स (जैसे DVR व Hard Disk आदि) व प्रिंटर भी ले गये और कोई पंचनामा भी नहीं किया।
- जमानत अर्जी गैर - कानूनी तौर पर रद्द की परिणामस्वरूप फरयादी व पीडित बेगुनाह होकर भी जेल में है।
- डी.के. वासु केस की गार्डड लाईन्स का भी पालन नहीं किया गया

उन सभी तरीके से गैरकानूनी षडयंत्र किया गया

जरूरत पड़ने पर व सच्चाई उजागर करने के लिये हमारा नाकों टेस्ट लिया जा सकता है। जिसका खर्चा भी हम लोग मकान बेचकर या 'जैसे भी होगा' करेंगे मगर आरोपियों के अपराध सिद्ध होने पर नाकों टेस्ट में हुआ खर्चा हमें वापस दिलवाना होगा।

पुलिस ने गुटबाजी करते हुये योजनाबद्ध तरीके से झूठा केस बनाया और गैर - कानूनी तरीके से डी.के. वासु की गार्डडलाईन के विपरीत काम किया इसलिये उनके विरुद्ध भी जाँच की जाये।

हमारे संगठन द्वारा अन्य मामलों में किए गए राजीनामा के उदाहरण भी साथ में संलग्न हैं।

Mukesh Thakur

मुकेश ठाकुर
(लुधियाना जेल में)

संलग्न दस्तावेज़:

1.	पीडित द्वारा दि. 3/5/2017 को ए.सी.पी. ऑफिस में दी गई शिकायत नं. 1088928 (559 - 5c)	1 - 1
----	--	-------

Attested Copy of Photostat Copy
8/3/18
Examiner/PSHRC

2.	पीडित द्वारा दि. 22/05/2017 को पुलिस कमिश्नर, लुधियाना को दी गई शिकायत नं. 114070	2 - 2
3.	संगठन 'अश्रुचर विरुद्ध जागृति अभियान' द्वारा पीडित के मामले में भेजे गये शिकायत - पत्र	3 - 8
4.	पीडित का शपथ - पत्र	9 - 12
5.	पीडित द्वारा 'Paytm' के नौपदा ऑफिस से ली गई जानकारी का दस्तावेज़	13 - 13
6.	पीडित द्वारा 'बैंक ऑफ बडौदा' ऑफिस से ली गई जानकारी का दस्तावेज़	14 - 14
7.	पीडित के 'Paytm' खाने ने आरोपी द्वारा रकम गूट लिये जाने का 'Snapshot'	15 - 16
8.	पीडित द्वारा पासपोर्ट आवेदन की कॉपी	17 - 19
9.	संगठन 'अश्रुचर विरुद्ध जागृति अभियान' द्वारा पीडित के मामले में भेजे गये शिकायत - पत्र की रमीटें	20 - 20
10.	सायबर क्राईम को ईमेल से भेजी गई शिकायत की 'Snapshot'	21 - 21
11.	आरोपियों के द्वारा स्टैम्प पेपर पर बनाये जाने वाले राजीनामा से पहले दी गई रकम की पंजाबी में बनाई गई कच्ची लिखा - पट्टी	22 - 22
12.	संगठन द्वारा अन्य मामलों में बनाया गया माफीनामा	23 - 29
13.	आरोपियों (अमृतपाल सिंह और मुखदेव सिंह) की बहन नयनीन कौर द्वारा पीडित पर झूठा आरोप लगाकर डिविजन नं. 1 में दर्ज की गई F.I.R. की कॉपी व मैडिको लीगल रिपोर्ट	30 - 42
14.	आरोपियों (अमृतपाल सिंह और मुखदेव सिंह) की तरफ से बन्ती जोधवाल में झूठा आरोप लगाकर दर्ज की गई F.I.R. की कॉपी	43 - 51
15.	आरोपियों के खिलाफ उठाये गये मामले पर आरोपियों के बिगडेल व आवारा दस्तावेज़ों द्वारा अमर भाषा में फेसबुक पोस्ट पर की गई टिप्पणी का 'Snapshot'	52 - 53

प्रतिलिपी :

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. माननीय राष्ट्रपति महोदय | 7. पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय |
| 2. माननीय उच्चतम न्यायालय | 8. लोकायुक्त, पंजाब |
| 3. माननीय प्रधानमंत्री महोदय | 9. पुलिस महानिदेशक (DGP) |
| 4. माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश | 10. पुलिस कमिश्नर, लुधियाना |
| 5. माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (JM1C) | 11. केन्द्र सनकता आयोग (CVC) |
| 6. भारत का विधी आयोग | 12. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग |

TO THE DIRECTOR
IN CHARGE
INVESTIGATION
DEPARTMENT OF POLICE
IN PUNJAB
CHANDIGARH
110001
11/05/2017 12:00
11/05/2017 12:00



RECEIVED
IN A SPECIAL INVESTIGATION
DEPARTMENT
TO THE DIRECTOR
IN CHARGE
INVESTIGATION
DEPARTMENT OF POLICE
IN PUNJAB
CHANDIGARH
110001
11/05/2017 12:00
11/05/2017 12:00



Attested Copy of Photostat Copy
31/1/17
Examiner/PSHRC

P-4
20

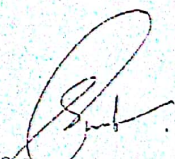
To
Chanderkla Thakur
W/o Sh. Chanderkant Thakur,
H/ 14060, Gali No. 2, Ram Nagar,
Tisba Road, Ludhiana City,
Punjab

Subject: - Regarding information required under RTI Act 2005 u/s 6(3) for complaints registered with 181-PPH on Dated 19.08.2017.

Respected Maam,

With reference to your letter regarding the information required under RTI Act 2005 u/s 6(3). It is submitted that on dated 19th August, 2017, 114 complaints registered on 181 Punjab Police Helpline during (06:00 am to 11:30 pm) with various categories. All the complaints registered on 181 PPH was dispatched/forwarded on the same day to the concerned police stations and also escalated to higher police authorities including respected ADGP Law & Order and SSP's for the respective districts.

NOTE- Sheet attached for your reference.


Thanks & Regards

181-Punjab Police Helpline
Phase -7 Mohali

Scanned by CamScanner

181 Complaints Data for 19th Aug.2017 (6:00 am to 11:30 pm)

Sr No	District v/s Category	Count
1	Amritsar (Rural)	4
1	Accident	9872852080
2	Family dispute	9592540959
3	Grievous Hurt	8196069549
4	Money Dispute	9779934609
2	Amritsar City	10
1	Attack	8567970779
2	Demolished	7347448007
3	Domestic Violence	9780164626
4	Domestic Violence	9780196754
5	False implication in case	8054601042
6	False implication in case	9803352905
7	False implication in case	9803836400
8	Misbehaviour	8557915371
9	Snatching	9855440406
10	Threat	9872023644
3	Batala	3
1	Matrimonial dispute	9041983782
2	Mobile related harassment	9915818276
3	Threat	9876546702
4	Bathinda	2
1	Harassment for Dowry	9914131083
2	Threat	9996545712
5	Faridkot	2
1	Hurt	9417868178
2	Hurt	9501324152
6	Fazilka	12
1	Abetment to suicide	9646359665
2	Abuse & bad language	9888154934
3	Citizen's arrest	9855606262
4	Cruelty by Children	9781606139
5	Delay in Arrest	9464506168
6	Domestic Violence	9876054334
7	Domestic Violence	9988357932
8	Grievous Hurt	7837297622
9	Mentally Harassment	8699229975
10	Money Dispute	7889046699
11	Neighborly dispute	9646503100
12	Rape/Rape Attempt	9878682966
7	Ferozepur	6
1	Attack	9914616302
2	Domestic Violence	9914343937
3	Grievous Hurt	9814558533
4	Hurt	8725965885
5	Prostitution	0

99

6	Theft	9781168490
8	Gurdaspur	1
1	Hurt	9023077163
9	Jalandhar City	8
1	Attack	7347307702
2	Duped by Travel Agent(s)	9041438213
3	Fraud	7087597517
4	Grievous Hurt	7087779121
5	Grievous Hurt	9646038807
6	Hurt	9815234054
7	Illegal Possession	9815421587
8	Mentally Harassment	9278230453
10	Kapurthala	1
1	Hurt	8146504029
11	Ludhiana (Rural)	5
1	Abuse & bad language	8728809447
2	Cruelty by Children	8569026994
3	Family dispute	9872832841
4	Prostitution	0
5	Threat	9815094107
12	Ludhiana City	13
1	Accident	9814920675
2	Citizen's arrest	9914682907
3	Cruelty by Children	8567888128
4	Cruelty by Children	9815803374
5	Domestic Violence	8146230572
5	False Implication in case	9803167299 ✓
7	Family dispute	7355042664
8	Fraud	8427279519
9	Landlord- Tenant dispute	8872073549
10	Matrimonial dispute	9569675077
11	Money Dispute	9872925439
12	Theft	9914154777
13	Threat	9877139031
13	Moga	1
1	Domestic Violence	8427660529
14	Pathankot	1
1	Abuse & bad language	9115646470
15	Patiala	4
1	Abuse & bad language	7696444191
2	Cruelty by Children	7696418872
3	False implication in case	9517951153
4	Police inaction	9501331003
16	Sangrur	3
1	Domestic Violence	9041131650
2	Domestic Violence	9814074776
3	Threat	9855926917
17	SAS Nagar	7

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

23

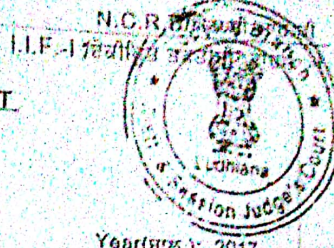
1	Abetment to suicide	7087951031
1	Accident	9316503800
1	Landlord- Tenant dispute	9073447222
2	Misbehaviour	9915911701
5	Obscene Calls/SMS	7009367099
7	Theft	8556907481
18	Threat	9056379387
1	SBS Nagar	1
19	Matrimonial dispute	9878125255
1	Sri Muktsar Sahib	14
2	Abuse & bad language	7508340312
3	Abuse & bad language	7837265753
4	Cruelty by Children	7696179262
5	Abuse & bad language	8557993912
6	Domestic Violence	8557953449
7	False implication in case	9914906032
8	Family dispute	9877559289
9	Fraud	9780644382
10	Grievous Hurt	9646601924
11	Matrimonial dispute	9828238076
12	Mentally Harassment	9855979881
13	Molestation	8146086506
14	Snatching	9814426731
20	Threat	8146863613
1	Taran Taran	16
2	Abuse & bad language	8427549181
3	ADO	9592143771
4	Cruelty by Children	9876906952
5	Duped by Travel Agent(s)	8437168190
6	Eloped	9855674562
7	Family dispute	8437151628
8	Family dispute	9815371892
9	Grievous Hurt	9590700005
10	Grievous Hurt	9872743702
11	Harassment for Dowry	8950039706
12	Hurt	9781276212
13	Hurt	9855328419
14	Snatching	8872876838
15	Theft	8264771577
16	Threat	8968437180
16	Threat	9814593777
Grand Total		114

P-5
94

10

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)
(ਅੰਦਰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ)
(ਸੂਚਨਾ 154 ਚੈਪਟਰ ਪ੍ਰਕਾਰਿਤ ਸਹਿਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ)



1. District (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ): POLICE COMMISSIONERATE LUDHIANA P.S.(ਪੁਲਿਸ): JODHEWAL

Year(ਸਾਲ): 2017

FIR No. 0343
(ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਨੰ.):

Date and Time of FIR
(ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਸਮਾਂ):

19/08/2017 08:50 hrs

2. S.No.(ਤਰੀਕ ਨੰ.)	Acts (ਕਾਨੂੰਨ)	Sections (ਧਾਰਾਵਾਂ)
1	IPC 1860	379B
2	IPC 1860	506
3	IPC 1860	120-B

3. (a) Occurrence of offence (ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਘਟਨਾ):

Day(ਦਿਨ): Friday Date From (ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ): 18/08/2017 Date To (ਤਾਰੀਖ ਤਕ): 18/08/2017
Time Period (ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ): Pahar 7 Time From (ਸਮੇਂ ਤੋਂ): 21:00 hrs Time To (ਸਮੇਂ ਤਕ): 21:00 hrs
(b) Information received at P.S.(ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ): Date (ਮਿਤੀ): 19/08/2017 Time (ਸਮਾਂ): 08:50 hrs
(c) General Diary Reference (ਰੋਜਨਾਮਚਾ ਸੰਦਰਭ): Entry No. (ਪ੍ਰਵਿਸਟੀ ਨੰ.): 003 Date & Time (ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਸਮਾਂ): 19/08/2017 18:55 hrs

4. Type of Information (ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕਿਸਮ): Written
5. Place of Occurrence (ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ):

(a) Direction and distance from P.S. (ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ): EAST, 3 Km(s) Beat No. (ਬੀਟ ਨੰ.):
(b) Address (ਪਤਾ): ST NO 2 MOHALLA RAM NAGAR, TIBBA ROAD LUDHIANA
(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (ਜੇਕਰ ਥਾਣਾ ਮੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤਾਂ)
Name of P.S (ਥਾਣੇ ਦਾ ਨਾਮ): District(State) (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ (ਰਾਜ):



ATTESTED
Examiner

Recd. at 9:30am
Jmd he Bahawal

7/9/17

25

N.C.R.B/...

L.I.F.-1 / ਵਿਕੀਰਿਤ ਸ਼ਰੀਰੀ

6. Complainant / Informant (ਮਿਥਾਇਤਕਰਤਾ / ਮੁਨਾਬਰਤਾ):

(a) Name (ਨਾਮ): JOGINDER SINGH

(b) Father's Name (ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ):

PRITAM SINGH

(c) Date/Year of Birth (ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ/ਸਾਲ): 1992

(d) UID No (ਯੂਆਈਡੀ ਨੰ.):

(e) Nationality (ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤ): INDIA

(f) Passport No. (ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੰ.):

(g) Date of Issue (ਨਾਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ):

(h) Place of Issue (ਜਿਥੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਥਾਨ):

(i) Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., S.No, Id Type, Id Number)

(j) Address (ਪਤਾ):

(k) Address Type (ਪਤੇ ਦੀ ਕਿਸਮ):

S.No. (ਲੜੀ ਨੰ.)	Address Type (ਪਤੇ ਦੀ ਕਿਸਮ)	Address (ਪਤਾ)
1	Present Address	14047, ST NO 2, MOHALLA RAM NAGAR TIBBA ROAD, JODHEWAL, POLICE COMMISSIONERATE LUDHIANA, PUNJAB, INDIA
2	Permanent Address	14047, ST NO 2, MOHALLA RAM NAGAR TIBBA ROAD, JODHEWAL, POLICE COMMISSIONERATE LUDHIANA, PUNJAB, INDIA

(l) Occupation (ਕਿੱਤਾ):

Phone number

Mobile

(m) (ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰ.):

(n) (ਮੋਬਾਇਲ ਨੰ.):

Details of known/suspected/unknown accused with full particulars

7. (ਦਾਅਵੇਦਾਰ/ਸੰਭਾਸ਼ਿਤ/ਅਜਾਣਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਵਰਣਨ):

Accused More Than (ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ):

S.No. (ਲੜੀ ਨੰ.)	Name (ਨਾਮ)	Alias (ਉਪਨਾਮ)	Relative's Name (ਸਿਧਾਂਤਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ)	Present Address (ਮੌਜੂਦਾ ਪਤਾ)
1	DOCTOR LUCKY JAIHIND			1. RAM NAGAR TIBBA ROAD, JODHEWAL, POLICE COMMISSIONERATE LUDHIANA, PUNJAB, INDIA
2	MUKESH THAKUR			1. MOHALLA RAM NAGAR TIBBA ROAD, JODHEWAL, POLICE COMMISSIONERATE LUDHIANA, PUNJAB, INDIA

ATTESTED
Examiner

- 2 JAN 2018

Reasons for delay in reporting by the complainant/informant.
(ਕਾਰਣਿਕਾਤਰਤ/ਸੂਚਨਾਕਰਤਾ ਨਾਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਾਲ ਦੱਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਖਾਤਾ)



9 Particulars of properties of interest (ਸਮੱਗਰੀ ਸਮੇਤ ਦਾ ਵੇਰਵਾ):

S.No.	Property Category (ਗੁਣੀ ਨੰ.) (ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ)	Property Type (ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਕਿਸਮ)	Description (ਵੇਰਵਾ)
-------	---	-----------------------------------	------------------------

10 Total value of property stolen (In Rs/-)
(ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ (ਰੁਪਿਓ)):

11 Inquest Report / U.D. case No., if any (ਤਸ਼ਹੀਸੀ ਰਿਪੋਰਟ / ਸੂ.ਤੀ. ਪ੍ਰਕਾਰਣ ਨੰ., ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ):
S.No. (ਲੜੀ ਨੰ.) UIDB Number (ਸੂ.ਤੀ. ਪ੍ਰਕਾਰਣ ਨੰ.).

12 First Information contents (ਵੇਰਵਾ):

ਬਿਆਨ ਅਜਨੇ ਜੁਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ S/O.ਸ. ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਮੁਕਾਨ ਨੰ: 14047 ਗਲੀ ਨੰ: 2 ਰਾਮ ਨਗਰ ਇੰਡਾ ਰੋਡ ਬਾਣਾ ਜੇਧੇਵਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਉਮਰ ਕਰੀਬ 55 ਸਾਲ। ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਕਤ ਪਤੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਕੱਲ ਮਿਤੀ 18/08/17 ਦੀ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 9 ਵਜੇ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਗੇਟ ਪਰ ਖੜਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਲੋਨਿਕ ਦੇ ਤੌਰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਤੇ ਧਮਕੀ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿਲਾਭ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪਰ ਆਏ ਖਰਚੇ ਦੇ ਇਵਜ ਵਿੱਚ ਸਬਰਦਸਤੀ ਪੈਸੇ ਲਵਾਗੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਭਰਾ ਲਤਕਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿਉ, ਜੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿਉ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬੂਤੀ ਅਧਿਯਾਨ ਨਾਹੀ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਲੜਕੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪਿਲਾਭ ਇਜ਼ਤਗਰ ਸਪਕੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੇਰਿਜਤ ਕਰਾਗੇ ਤੇ ਹੋਰੇ ਲੜਕੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਕੱਚੜਾ ਦੇਵਾਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿਉ, ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਭਰਾ, ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਤੇ ਭਰੇ ਹਮਾਇਤੀਆ ਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਦੇਵਾਗੇ। ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਕਈ ਇੰਜਤਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਗਏ ਇਨਤਿਹਾਕਾ ਸਬੰਧੀ ਚੋਰੀ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਪਰ ਮੈਂ ਡਰ ਕੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਨਸੇ ਕਿਲੇ ਪੈਸੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਝੱਪਟ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਪੈਸੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖੋਹ ਲਏ ਤੇ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਜਲਦੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੇ ਮੌਕਾ ਤੇ ਆਪਣੇ -2 ਘਰਾ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਕੋਰਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਿਉਣੀ ਤੇ ਘਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਵਾਲੇ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਆਪ ਪਾਸ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੁਣ ਲਿਆ ਪਤਾ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, SD/-Joginder Singh 98151-75204; ਤਾਇਦ ਬਿਆਨ SD/- Sukhdev Singh 98888-80660, ਤਸਦੀਕ SD/-ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ASI ਬਾਣਾ ਕਸਤੀ ਜੇਧੇਵਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ 19-8-17 ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਲਿਸ - ਅਜ ਮਨ ASI ਸਮੇਤ HC ਵਿਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ 776, HC ਰਾਏ ਸ਼ਾਮ 2124 ਤੇ C ਅਰੁਨਦੀਪ ਸਿੰਘ 3342 ਦੇ ਗ਼ਜ਼ਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗ਼ਜ਼ਤੀ ਚੋਕ ਨੌਤੇ ਪਾਲ ਤਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਟੋਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤਾਂ ਇਤਲਾਹੀਆ ਨੇ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਕੋਰੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗ਼ਜ਼ਤ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਕਤ ਬਿਆਨ ਤਹਿਰੀਰ ਕਰਾਇਆ ਜੋ ਹੋਰਫ ਥਾ ਹਰਫ ਲਿਖ ਕਰਕੇ ਪਤ ਕਰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਸਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਚੋਰੇ ਬਿਆਨ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਤਾਇਦ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਮਨ ASI ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮਨਸ਼ੁਨ ਬਿਆਨ ਤੇ ਜੁਰਮ 379-B(2), 506, 120-B IPC ਦਾ ਹੋਣਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਿਹਾਸਾ ਬਿਆਨ ਹਜ਼ਾ ਕਰਾਏ ਦਾਇਰੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਹੁਪਿਲਾਭ ਦੇਸੀਆਨ ਉਕਤ ਥਾ ਜੁਰਮ ਉਕਤ ਦਰਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹੱਥੀ CT ਅਰੁਨਦੀਪ ਸਿੰਘ 3342 ਬਾਣਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਾਣੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ ਅਵਸਰਾਨ ਬਾਣਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ। ਮਨASI ਸਮੇਤ ਸਾਈ ਕੁਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਦੱਦੀ ਨੂੰ ਸਮੇਤ ਤਾਈਦੀ ਦੇ ਹਮਰਾਹ ਲੈ ਕੇ ਚੰਦਾਨਾ ਮੋਕਾ ਬਰਾਏ ਤਵਰੀਸ ਹੁੰਦਾ ਹਾ SD/- ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ASI ਬਾਣਾ ਕਸਤੀ ਜੇਧੇਵਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮਿਤੀ 19/08/17 ਕਾ ਹੱਦ ਕਸਤੀ ਜੇਧੇਵਾਲ ਚੋਕ ਲੁਧਿਆਣਾ AT

ATTESTED

Examiner

21 AUG 2018

N.C.R. Form No. 1
I.F.-1 / 1971



Attachment to Item 7 of First Information Report (ਅੰਕ 7 ਮੂਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 7 ਮੰਤਰਨਾਮਾ)
Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known)
(ਸੰਭਾਸ਼ਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ, ਵਿਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ: (ਜੇਕਰ ਜਾਣਕਾਰੀ/ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ))

S.No. (ਸ਼ਰੀਕ ਨੰ.)	Sex (ਲਿੰਗ)	Date/Year of Birth (ਜਨਮ ਮਿਤੀ/ਸਾਲ)	Build (ਖੁਣਾਟ)	Height (cms.) (ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ)	Complexion (ਚਮੜਾ)	Identification Mark(s) (ਪਛਾਣ ਚਿੰਨ੍ਹ)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male					Portraits: NO
2	Male					Portraits: NO

Deformities/ Peculiarities (ਵਿਕਾਰ / ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ)	Tooth (ਦੰਦ)	Hair (ਝਾਲ)	Eyes (ਅੱਖਾਂ)	Habit(s) (ਆਦਤ)	Dress Habit(s) (ਪਹਿਰਾਵਾ)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (ਬੋਲਾ/ਬੋਲੀ)	Place Of (ਜਾਗਨ)					Others (ਹੋਰ)
	Burn Mark (ਜਲੇ ਹੋਏ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ)	Leucoderma (ਚਿੱਟਾ ਰੋਗ)	Mole (ਮਰੂਕਾ)	Scar (ਚੱਖਮ)	Tattoo (ਗੁੱਦੇ ਹੋਏ ਦਾ)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused. (ਇਹ ਖੇਤਰ ਤਦੋਂ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ / ਸੂਚਨਾਕਰਤਾ ਸੰਬੰਧੀ / ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋ।)

ATTESTED

Examiner

5

- 2 JAN 2018

(29)



विशेष पुलिस अधिकारी की सहायता करने पर उसके द्वारा दुश्मनी निवारण में विशेष बिना जल्दी दुश्मनी निवारण करने के जाने के मामले में पुलिस अधिकारी पर कार्यवाही विशेष जाने न पीड़ित को भ्रष्ट पुलिस अधिकारी के अपराध का दायरा।

15 SEP 2012

PUNJAB STATE HUMAN RIGHTS COMMISSION
SCO NO. 20-21-22, SECTOR 34-A, CHANDIGARH

No. RTI -295/2018- 5714/10/2017-PSHRC/2018/J-6

To

Regd Post

Sh. Mukesh Thakur,
R/o H.No. 14060, Gali No. 2,
Ram Nagar, Tibba Road,
Ludhiana - 141007

Subject: -

Supply of Information under Right to Information Act.
C.No. 5714/10/2017 filed by Ms. Chander Kala Thakur of Ludhiana.

Sir,

I am directed to refer to your application dated 19/11/2018 on the above noted subject and to forward herewith following documents, as desired.

1. Complaint and annexure (9 Pages)
2. Application dated 19/08/2017 with annexure (16 Pages)
3. Application dated 23/08/2017 with annexure (13 Pages)
4. Application dated 04/09/2017 with annexure (53 Pages)
5. Report dated 19/03/2018 of the Commissioner of Police Ludhiana (2 Pages)
6. Application dated 22/11/2018 (1 Page)
7. All orders passed by the Commission (7 Pages)

Encls As Above

Your Faithfully,

P.I.O / Joint Registrar

5714/10/12

(92)

PUNJAB STATE HUMAN
RIGHTS COMMISSION
CHANDIGARH

28 AUG 2017

21323

Diary No/CR/201

दिनांक : 19.08.2017

(31)

12

32
11/12
सेवा में,

पंजाब राज्य मानवाधिकार आयोग
SCO NO. 20-21-22, सेक्टर 34-A,
चंडीगढ़ - 160034

विषय: पुलिस अधिकारी की शिकायत करने पर उसके द्वारा दुश्मनी निकालने के लिये बिना जरूरी दस्तावेज दिखाये उठाकर ले जाने के मामले में पुलिस अधिकारी पर कार्यवाही किये जाने व पीड़ित को भ्रष्ट पुलिस अधिकारी के चंगल से छुड़ाने बाबत।

महोदय,

मैं चंद्रकला ठाकुर पत्नि स्व. इंद्रकांत ठाकुर (पता: मकान नं. 14060, गली नं. 2, राम नगर, टिब्बा रोड, लुधियाना - 141007 Mob. 79735-71454) हूँ, मेरे बेटे मुकेश ठाकुर के ऊपर झूठी F.I.R. करके उसे मौहल्ले में हथकड़ी पहनाकर घुमाया गया था जिस मामले में मेरी तरफ से पंजाब राज्य मानवाधिकार आयोग में शिकायत की गई थी जिसकी सुनवाई 4 सितंबर को है।

मैंने जिस अधिकारी ASI स्वर्ण सिंह के खिलाफ शिकायत की थी वह आज सुबह 5.00 बजे के आसपास सादी वर्दी में आया (जिनमें दो पुलिसकर्मी ही वर्दी में थे) और बिना कोई जरूरी दस्तावेज दिखाये मेरे बेटे की गर्दन पकड़ कर ले जाने लगे, मैंने विरोध किया व जरूरी दस्तावेज पूछे तो मुझे धक्का देकर गिरा दिया और गालियाँ बकते हुये चिल्लाते हुये कहने लगे कि, "तुम लोग पुलिस के खिलाफ शिकायत करते हो अब अंजाम भुगतो" उसके बाद मेरे बेटे को लगभग घसीटते हुये ले गये मैंने हथकड़ी पहनाकर मौहल्ले में घुमाने के मामले में इस अधिकारी ASI स्वर्ण सिंह के खिलाफ शिकायत की है, यह भ्रष्ट पुलिस अधिकारी अब मेरे बेटे का दुश्मन बन चुका है और मेरे बेटे को जान से मार भी सकता है।

अतः मेरे बेटे को इस अधिकारी से बचाया जाये और गैर-कानूनी तरीके से मेरे बेटे को उठाये जाने के मामले में कार्यवाही की जाये। जो भी उचित और कानूनी कार्यवाही बनती होगी उसमें मैं पूरा सहयोग दूँगी। मेरे बेटे मुकेश ठाकुर के ऊपर दर्ज किये गये झूठे मामले की शिकायत पहले भी लुधियाना पुलिस कमिश्नर को की जा चुकी है जिसकी कॉपी भी साथ में संलग्न है।

इस मामले में पंजाब राज्य मानवाधिकार आयोग की तरफ से सुनवाई हेतु प्राप्त पत्र भी साथ में संलग्न है।

मेरे बेटे मुकेश की इन भ्रष्ट पुलिस अधिकारी से जान बचाई जाये और इस पूरे मामले की जाँच विशेष जाँच दल (SIT) द्वारा की जाये।

चंद्रकला ठाकुर

चंद्रकला ठाकुर
पता: मकान नं. 14060, गली नं. 2,
राम नगर, टिब्बा रोड, लुधियाना - 141007
Mob. 79735-71454)

Information supplied under
RTI Act, 2005.
31/11/17
APIQ/PSHRC
31/11/17

दिनांक: 19.08.2017

सेवा में,

Commissioner of Police
The District Magistrate / Deputy Commissioner
Ludhiana
Ludhiana

विषय: पुलिस अधिकारी की शिकायत करने पर उसके द्वारा दुश्मनी नियंत्रण के विषे बिना जरूरी दस्तावेज दिखाये उठाकर ले जाने के मामले में पुलिस अधिकारी पर कार्यवाही किये जाने व पीडित को भ्रष्ट पुलिस अधिकारी के चंगुल से छड़ाने बाधता।

महोदय,

मैं चंद्रकला ठाकुर पत्नि स्व. इंद्रकांत ठाकुर (पता: मकान नं. 14060, गली नं. 2, राम नगर, टिब्बा रोड, लुधियाना - 141007 Mob. 79735-71454) हूँ, मेरे बेटे मुकेश ठाकुर के ऊपर झूठी F.I.R. करके उसे मौहल्ले में हथकड़ी पहनाकर घुमाया गया था जिस मामले में मेरी तरफ से पंजाब राज्य मानवाधिकार आयोग में शिकायत की गई थी जिसकी सुनवाई 4 सितंबर को है।

मैंने जिस अधिकारी ASI स्वर्ण सिंह के खिलाफ शिकायत की थी वह आज सुबह 5.00 बजे के आसपास सादी वर्दी में आया (जिनमें वो पुलिसकर्मी ही वर्दी में थे) और बिना फोई जरूरी दस्तावेज दिखाये मेरे बेटे की गर्दन पकड़ कर ले जाने लगे, मैंने विरोध किया व जरूरी दस्तावेज पूछे तो मुझे धक्का देकर गिरा दिया और गालियाँ बफते हुये चिल्लाते हुये कहने लगे कि, "तुम लोग पुलिस के खिलाफ शिकायत करते हो अब अंजाम भुगतो" उसके बाद मेरे बेटे को लगभग धसीटते हुये ले गये मैंने हथकड़ी पहनाकर मौहल्ले में घुमाने के मामले में इस अधिकारी ASI स्वर्ण सिंह के खिलाफ शिकायत की है, यह भ्रष्ट पुलिस अधिकारी अब मेरे बेटे का दुश्मन बन चुका है और मेरे बेटे को जान से मार भी सकता है।

अतः मेरे बेटे को इस अधिकारी से बचाया जाये और गैर-कानूनी तरीके से मेरे बेटे को उठाये जाने के मामले में कार्यवाही की जाये। जो भी उचित और कानूनी कार्यवाही बनती होगी उसमें मैं पूरा सहयोग दूँगी। मेरे बेटे मुकेश ठाकुर के ऊपर दर्ज किये गये झूठे मामले की शिकायत पहले भी लुधियाना पुलिस कमिश्नर को की जा चुकी है जिसकी कॉपी भी साथ में संलग्न है।

इस मामले में पंजाब राज्य मानवाधिकार आयोग की तरफ से सुनवाई हेतु प्राप्त पत्र भी साथ में संलग्न है।

मेरे बेटे मुकेश की इन भ्रष्ट पुलिस अधिकारी से जान बचाई जाये और इस पूरे मामले की जाँच विशेष जाँच दल (SIT) द्वारा की जाये।

म ०५/०८/१७

चंद्रकला ठाकुर
पता: मकान नं. 14060, गली नं. 2,
राम नगर, टिब्बा रोड, लुधियाना - 141007
Mob. 79735-71454)

P-9
33

part of
interview
for 21.8.17
SRO
21.8.17

शिकायतकर्ता:

चंद्रकला ठाकुर
पता: मकान नं. 14060,
गली नं. 2, राम नगर, टिब्बा रोड,
मुधियाना - 141007
Mob. 79735-71454

दिनांक : 20.08.2017

सेवा में,

विषय: मेरे बेटे मुकेश ठाकुर व पीडित लकी गुप्ता उर्फ जयहिंद के साथ की गई घोषावर्डी की
सबूतों के साथ चार महीने पहले दी गई शिकायत पर कार्यवाही न करके उन पर ही
झूठी तीन-तीन F.I.R. दर्ज करने के मामले में संज्ञान लेते हुये कार्यवाही किये जाने हेतु।

महोदय,

मेरे बेटे मुकेश ठाकुर व पीडित लकी गुप्ता उर्फ जयहिंद ने Paytm के द्वारा उनके खाते
से चोरी किये जाने के मामले में चार महीने पहले शिकायत की थी मगर उस मामले में पुलिस
के द्वारा आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई और ना ही F.I.R. दर्ज की गई।

मगर रंजिश के तहत कि, मेरे बेटे मुकेश ठाकुर व पीडित लकी गुप्ता उर्फ जयहिंद ने
शिकायत क्यों की? के नाम पर अपराधियों व भ्रष्ट अधिकारियों ने इन दोनों पर ही तीन-तीन
झूठी F.I.R. दर्ज करवा दी है और जान से मारने का भी कहा जा रहा है।

इस मामले में मेरी व मेरे बेटे की तरफ से पंजाब राज्य मानवाधिकार आयोग व अन्य विभागों
में शिकायत की थी, जिसमें केवल पंजाब राज्य मानवाधिकार आयोग से ही इंक़ारी मांगी गई
वाकि किसी भी विभाग से कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। कल दिनांक 19.08.2017 को
सुबह 5.00 बजे बिना किसी पूर्व सूचना व दस्तावेज़ दिखाये बेटे का अपहरण किया व पूरे दिन
गायब रखा जिसकी वजह से सेशन कोर्ट में आवेदन दिया गया।

जब काफी फोन व ईमेल किये गये तब कहीं जाकर रात 10.30 बजे पुलिस थाने बस्ती
जोधेवाल में रखा है, ऐसा पता चला।



73

मेरे बेटे मुकेश ठाकुर व पीडित लकी गुप्ता उर्फ जयहिंद को अपराधियों के व ग्रुप पुलिस अधिकारियों के खिलाफ शिकायत किये जाने की वजह से परेशान किया जा रहा है उसकी जान का खतरा है।

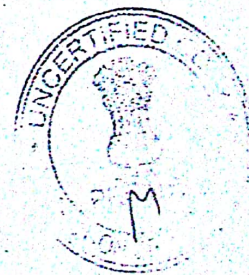
मैं चाहती हूँ कि, मेरे बेटे मुकेश ठाकुर व पीडित लकी गुप्ता उर्फ जयहिंद के मामले को खुद संज्ञान में लेते हुये सारे शिकायती दस्तावेज देख व मजिस्ट्रेट की निगरानी में जाँच करवाये जिससे मेरे बेटे व पीडित लकी गुप्ता उर्फ जयहिंद को इंसाफ मिल सके व न्याय की जीत हो।

मैं निम्न बिंदुओं पर कार्यवाही के लिये प्रार्थना करती हूँ :

1. Paytm से धोखाधड़ी के मामले में संज्ञान लेते हुये पुलिस को F.I.R. दर्ज करने का आदेश दे।
2. सुबह 5.00 बजे बिना किसी पूर्व सूचना व दस्तावेज दिये धक्के मार कर कॉलर व गर्दन पकड़कर अपहरण करके ले गये और रात 10.30 बजे तक कोई खबर नहीं मिली बीच में CIA के ऑफिस में इन दोनों को बस्ती जोधवाल पुलिस थाने के सिपाही लेकर आये थे जिसका हम लोगों को वहाँ खड़े होने की वजह से पता चला तब वहाँ के बड़े अधिकारी से मिलने व जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की तो वहाँ के इंचार्ज जतिंदर कुमार द्वारा लगभग धक्का देते हुये बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और मिलने ही नहीं दिया गया जिससे मेरे बेटे को किस अपराध में गिरफ्तार किया गया है कि जानकारी मुझे नहीं हुई और ना ही मुझे अभी तक गिरफ्तारी से संबंधित कोई भी दस्तावेज दिया गया है।
3. पुलिसवालों की वेबसाईट पर ही 'सिटिज़न चार्टर' में डी.के.वासु की गार्डइलाइन दी गई है जिसका पूरी तरह उल्लंघन किया गया है अतः संज्ञान में लें व कार्यवाही करें।
4. Justice A N Mullah called the police an organized gang of criminals, इस वाक्य को ध्यान में रखते हुये हमारे द्वारा भेजी गई शिकायती दस्तावेजों को देखते हुये मामले की गंभीरता को संज्ञान में लें और उचित कार्यवाही करें।
5. मेरे बेटे व पीडित लकी की जान की रक्षा व न्याय की रक्षा के लिये मामला तुरंत संज्ञान में लेते हुये मजिस्ट्रेट की निगरानी में जाँच करवाने का आदेश दिया जाये।
6. आवश्यक दस्तावेज साथ में संलग्न है।

चंद्रकला ठाकुर

चंद्रकला ठाकुर
शिकायतकर्ता





24 35

ਜਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ

ਥਾਣਾ ਚੰਡੀ ਚੌਕ

ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ: ਕੋਰਟ ਨੰਬਰ 14047, ਨਵੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ

ਬਨਾਮ:

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਮਨ ਕੌਰ ਚੰਡੀ ਚੌਕ P.S. ਚੰਡੀ ਚੌਕ ਲੁਧਿਆਣਾ
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਮਨ ਕੌਰ 3/0 ਚੰਡੀ ਚੌਕ ਨਾਕਰ ਕੌਰ ਬਾਗਵਤ ਵਾਸੀ
ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਸਾਕਤ ਪੁਰ 10, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਵਾਸੀ
1400 ਨਵੀਂ ਸ਼ਹਿਰ 2, ਜਿਲ੍ਹਾ ਚੰਡੀ ਚੌਕ ਚੰਡੀ ਚੌਕ P.S. ਚੰਡੀ ਚੌਕ ਲੁਧਿਆਣਾ

ਮੁਕਦਮਾ ਨੰ: 348 ਮਿਤੀ 19/12/07 U.S. 379.B(2) 120.B.506.12

ਥਾਣਾ ਚੰਡੀ ਚੌਕ ਲੁਧਿਆਣਾ

ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਮੀਮੋ

ਮੈਂ ASI ਨਵੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੰ: 455 ਬਤੌਰ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਥਾਣਾ ਚੰਡੀ ਚੌਕ ਲੁਧਿਆਣਾ

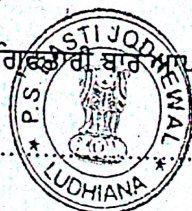
ਤਾਇਨਾਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਮਨ ਕੌਰ ਪੁੱਤਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਵਾਸੀ ਨੰ: 1460 ਨਵੀਂ ਸ਼ਹਿਰ 2, ਜਿਲ੍ਹਾ ਚੰਡੀ ਚੌਕ

ਚੰਡੀ ਚੌਕ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਉਕਤ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਮਨ ਕੌਰ ਪੁੱਤਰ

ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਿ ਪਾਕੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਧਾਰਾ 379.B(2) 120.B.506.12 ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਹੈ।

ਆਪ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਵੇ ਆਪ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗਿਸ਼ਤੇਦਾਰ

ਪੁੱਤਰ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ



ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

9918837642
ਪ੍ਰੀਤ ਕੁਮਾਰ ਦਾਸੀ ਕਰੀਬ
ਲਿਖਾ ਚੰਡੀ ਚੌਕ

(1) ਗਵਾਹ H.C. ਰਾਏ ਸ਼ਾਂਤਿ ਪਾਕੀਆਂ
P.S. ਚੰਡੀ ਚੌਕ ਲੁਧਿਆਣਾ

ਦੋਸ਼ੀ ਉਕਤ
ਨਵੀਂ ਸ਼ਹਿਰ

(2) ਗਵਾਹ H.C. ਵਿੰਨ ਕੁਮਾਰ 176
P.S. ਚੰਡੀ ਚੌਕ ਲੁਧਿਆਣਾ

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਮਨ ਕੌਰ 16

ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਮਨ ਕੌਰ

ਤਾਰੀਕ ਤੇ ਸਮਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ

ਥਾਣਾ ਚੰਡੀ ਚੌਕ

19/12/07

ਕਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ

ATTESTED

Examiner

- 2 JAN 2018

ਥਾਣਾ / ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ



ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ

ਜ਼ੋਨ

ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ: ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਯਮਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ 14.04.17 ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਬਨਾਮ: ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰ. 14.660/17 (ਇੰਚਾਰਜ ਡਾਕਟਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ) ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰ. 14.660/17 ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਇਤਲਾਹ ਮੀਮੋ

ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰ: 34.3 ਮਿਤੀ: 17.08.17 U/s 379-B(2) 12-B, ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ

ਦੋਸ਼ੀ: ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰ. 14.660/17 ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ: 14.660/17 (ਇੰਚਾਰਜ ਡਾਕਟਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)

ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀ: 14.660/17 ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ

(ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ) ਨੇ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੈ ਨੂੰ ਮੈਂ (ਨਾਂ ਅਤੇ ਰੈਂਕ) ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰ. 14.660/17

ਨੰਬਰ: 14.660/17 ਚੌਕੀ: 14.660/17 ਥਾਣਾ: 14.660/17

ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ: 17.08.17 ਵਕਤ: ਵਜੇ: ਨੂੰ

ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਬਤੌਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਸਦੀ

ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਵੇ।

ਗਵਾਹ ਦਸਤਖਤ: ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰ. 14.660/17

ਨਾਮ: ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰ. 14.660/17

ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ: 14.660/17

ਵਾਸੀ: 14.660/17

Mufayy Kaur Hc1776

ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰ. 14.660/17

ਇਤਲਾਹ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ

ਮਿਤੀ: 17.08.17

ਸਮਾਂ: 17.08.17

ATTESTED
Examiner

- 2 JAN 2018

State Vs. Mukesh Thakur

Present: Sh. Harkamalpreet Singh, APP for the State

Accused Mukesh Thakur and Lucky @ Jai Hind Heera Lal in custody represented by Ms. Pawanjit Kaur, Adv. (Free Legal Aid Counsel)

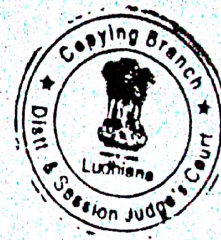
Accused produced before me being duty Magistrate. An application for seeking police remand of accused has been moved. Heard. Police file perused. No time of arrest of the accused has been mentioned on the arrest memos. Further, no specific ground has been mention for seeking the police remand of the accused and nothing has been mentioned as to whether any recovery is to be effected from the accused or not. Therefore, no ground is made out to remand the accused to police custody. Accordingly, accused Mukesh Thakur and Lucky @ Jai Hind Heera Lal are remanded to judicial custody till 02.09.2017. Papers be sent to Ld. concerned court immediately.


(Ekta)

(Unique Identity Code:PB0463)

JMIC(D)/Ldh/20.08.2017

Manu



TESTED

Examiner

05 JAN 2019

5/10/17
5/10/17

PUNJAB STATE HUMAN RIGHTS COMMISSION CHANDIGARH
29 AUG 2017
21542
Diary No. /CR/201

शिकायतकर्ता :
चंद्रकला ठाकुर
पत्नि स्व. इंद्रकांत ठाकुर
पता: मकान नं. 14060, गली नं. 2,
राम नगर, टिब्बा रोड, लुधियाना -141007
Mob. 79735-71454

दिनांक : 23.08.2017

P-12
38

सेवा में,

The Chairman
Punjab State Human Rights Commission
SCO NO. 20-21-22, Sector 34-A,
Chandigarh - 160034

विषय: झूठी शिकायत पर तुरंत F.I.R. के मामले में सच्चाई सामने लाने के लिये उपलब्ध तकनीकी सबूतों को तुरंत सील करके सर्टिफाईड सी.डी. दिये जाने बाबत।

महोदय,

मैं चंद्रकला ठाकुर पत्नि स्व. इंद्रकांत ठाकुर (पता: मकान नं. 14060, गली नं. 2, राम नगर, टिब्बा रोड, लुधियाना -141007 Mob. 79735-71454) हूँ। मेरे बेटे मुकेश ठाकुर व पीड़ित लकी गुप्ता उर्फ जयहिंद को 19 अगस्त 2017 को पुलिस से मिलकर झूठी शिकायत पर तुरंत F.I.R. No. 0343/2017 दिनांक 19.08.2017 को दर्ज करते हुये उन्हें झूठे मामले में शिकायत व F.I.R. No. 0343/2017 दर्ज होने से पहले ही सुबह 5.00am बजे गिरफ्तार किया गया लेकिन हमें कोई जानकारी नहीं दी गई और उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देश जो डी.के.बासु और अर्नेश कुमार आदि मामलों में दिये गये हैं व लुधियाना पुलिस की वेबसाइट <http://ludhianapolice.in/> पर सिटिजन चार्टर में भी बताया जा रहा है, का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन किया गया। ज्ञात रहे कि, इसके पहले भी इसी तरह षडयंत्र करके F.I.R. No. 236/2017 दिनांक 23.06.2017 का गिरफ्तार किया गया था और हथकड़ी लगाकर मौहल्ले में घुमाने की शिकायत पर पंजाब राज्य मानवाधिकार आयोग ने पुलिस कमिश्नर, लुधियाना को जाँच का आदेश दिया था उससे बचने के लिये फिर से दुबारा झूठी शिकायत, जो सुबह 8.50am बजे रजिस्टर की गई लेकिन सुबह 5.00am बजे ही गिरफ्तार कर लिया गया।

इस मामले में पुलिस कमिश्नर, लुधियाना भी दोषी हैं इसलिये इस मामले में तुरंत निम्न कार्यवाही करते हुये तकनीकी सबूतों को सील करके सत्यापित सी.डी. व दस्तावेज दिये जायें व सीज करें।

1. दिनांक 18.08.2017 के दिन रात 8.30pm से 10.00pm के बीच की निम्न मोबाईल नंबरों की लोकेशन सर्टिफाईड दस्तावेज के साथ उपलब्ध करायें।

Attested
31/8/17
Examiner/PSHRC

(39)

b

- a. मुकेश ठाकुर मोबाईल नं. 81467-61055, 98153-31427, 92561-58958
 - b. लकी गुप्ता उर्फ जयहिंद मोबाईल नं. 73554-27270
 - c. जोगिन्दर सिंह मोबाईल नं. 98151-75204, अमृतपाल सिंह उर्फ विकी मोबाईल नंबर 99888-50660, सुखदेव सिंह मोबाईल नंबर 98888-99908 व इन सभी के अन्य मोबाईल नंबर जो यह लोग उपयोग करते हैं
2. जोगिंदर सिंह के दरवाजे को लक्ष्य करके लगाये गये CCTV कैमरे की दिनांक 18.08.2017 की रात 8.30 से 10.00 बजे के बीच की CCTV Footage सील करके दी जाये।
 3. दिनांक 15.08.2017 की सुबह 11.00am बजे से 20.08.2017 की शाम 5.00pm बजे तक की पुलिस थाने बस्ती जोधवाल के अन्दर जाने वाले सभी रास्तों में लगे CCTV कैमरे की Footage व शिकायत खिड़की के पास लगे CCTV कैमरे की फुटेज सील की जाये व दी जाये।
 4. दिनांक 19.08.2017 को सुबह 5.00am बजे मेरे व लकी के घर पर आये सभी पुलिसकर्मियों के नाम व मोबाईल नंबर तुरंत रिकॉर्ड पर लेकर दिये जाये व उन पुलिसकर्मियों की 19.08.2017 के दिन सुबह 4.00am बजे से 20.08.2017 की शाम 9.00pm बजे तक की मोबाईल लोकेशन की सत्यापित कॉपी ली जाये व दी जाये।
 5. बस्ती जोधवाल के पुलिसकर्मियों जिनके बैल्ट नंबर व नाम निम्न हैं कि दि. 19.07.2017 के दिन की दोपहर 12.00 बजे से 3.00 बजे के बीच की मोबाईल लोकेशन सील करते हुये सत्यापित कॉपी दी जाये।
 - a. CT मनोज गुप्ता बैल्ट नंबर 3071
 - b. CT अरुणदीप सिंह बैल्ट नंबर 3342
 - c. ASI सुलखान सिंह बैल्ट नंबर 855
 6. जिस गाड़ी से मेरे बेटे मुकेश ठाकुर व लकी को गिरफ्तार करके ले जाया गया उस गाड़ी का नंबर रिकॉर्ड पर लिया जाये और वह गाड़ी, जिस में रोड़ पर चली, उस रोड़ पर स्ट्रीट लाइटों के खंभों में लगे सरकारी कैमरों की दिनांक 19.08.2017 को सुबह 4.00am से लेकर 10.00am तक की CCTV Footage सील की जाये व दी जाये।
 7. मारुती गाड़ी नंबर PB 08 BZ 4512 दिनांक 19.08.2017 के दिन शाम 3.30pm से 4.30pm के बीच 'क्राइम इन्वैस्टीगेशन एजेंसी (CIA)' के दफ्तर के प्रांगण में मौजूद थी उस गाड़ी के CIA दफ्तर पहुँचने के व वापसी के समय के हिसाब से 3.00pm से 5.00pm के बीच की उन स्ट्रीट लाइट के खंभों पर लगे सरकारी कैमरों की फुटेज सील की जाये जिस रास्ते से यह गाड़ी CIA दफ्तर में जाती है और बाहर आती है।

Attested

31/11/19
Examiner/PSHRC

दिनांक 19.08.2017 के दिन शाम मारुती गाड़ी नंबर PB 08 BZ 4512 थाना बग्गी जाधियाना ग लगभग 2.30pm बजे के आसपास चली, उस समय की उस गाड़ी में बैठनेवालों की CCTV Footage सील की जाये।

9. CIA दफ्तर में दिनांक 19.08.2017 को शाम 3.30pm बजे के बाद किस-किस को गिरफ्तार करके लाया गया, उनकी रजिस्टर इंट्री को सील किया जाये व वहाँ मौजूद CCTV कैमरों की दिनांक 19.08.2017 को शाम 3.00pm से 7.00pm बजे के बीच की फुटेज सील की जाये व दी जाये।

10. अमृतपाल सिंह उर्फ विकी, सुखदेव सिंह, जोगिन्दर सिंह, ASI स्वर्ण सिंह और ACP/North मचिन गुप्ता आदि सभी के मोबाईल नंबरों की कॉल डीटेल्स की सत्यापित कॉपी ली जाये व दी जाये।

मेरे बेकसूर बेटे मुकेश ठाकुर व पीडित लकी गुप्ता उर्फ जयहिंद को इंसाफ दिलाने व न्याय की रक्षा व लिये उन तकनीकी सबूतों को नष्ट होने से पहले सील किया जाये व मुझे सत्यापित कॉपी व सी.डी. दी जाये।

आपसे निवेदन है कि, आप तीनों F.I.R. (F.I.R./D.D.R. No. 23/17 दिनांक 22.06.2017; F.I.R. नं. 236/2017 दिनांक 23.06.2017; F.I.R. NO 343/2017 दिनांक 19.08.2017) व 107/151 धाराओं के तहत दर्ज की गई F.I.R./D.D.R. No. 23/17 दिनांक 22.06.2017 में पढ कर खुद निर्णय ले सकते हैं कि झूठे मामले में बेकसूर लोगों को फँसाया गया और Paytm से गैर-कानूनी तरीके से निकाले गये रुपयों के मामले में सबूत होने के बावजूद F.I.R. तक नहीं ली गई। ज्ञात रहे कि, पुलिस कमिश्नर (लुधियाना) आरोपी फुड इंस्पेक्टर के दोस्त हैं। इसलिये उपरोक्त सबूतों की सत्यापित कॉपी/सी.डी. दी जाये और इस पूरे मामले की जांच 'विशेष जाँच टीम (SIT)' का गठन करके की जाये और दोषी पुलिसवालों के विरुद्ध कार्यवाही की जाये।

चंद्रकला ठाकुर

चंद्रकला ठाकुर
(शिकायतकर्ता)

Information supplied under
RTI Act, 2005. 31/11/15
APIO/PSHRC

संलग्न दस्तावेज़:

- आपकी जानकारी के लिये व कार्यवाही के लिये पहली F.I.R./D.D.R. No. 23/17 दिनांक 22.06.2017 किस तरह झूठी है उसकी शिकायत पुलिस कमिश्नर, लुधियाना व पंजाब राज्य मानवाधिकार आयोग को भेजी गई है, वह साथ में संलग्न है।

प्रतिलिपी:

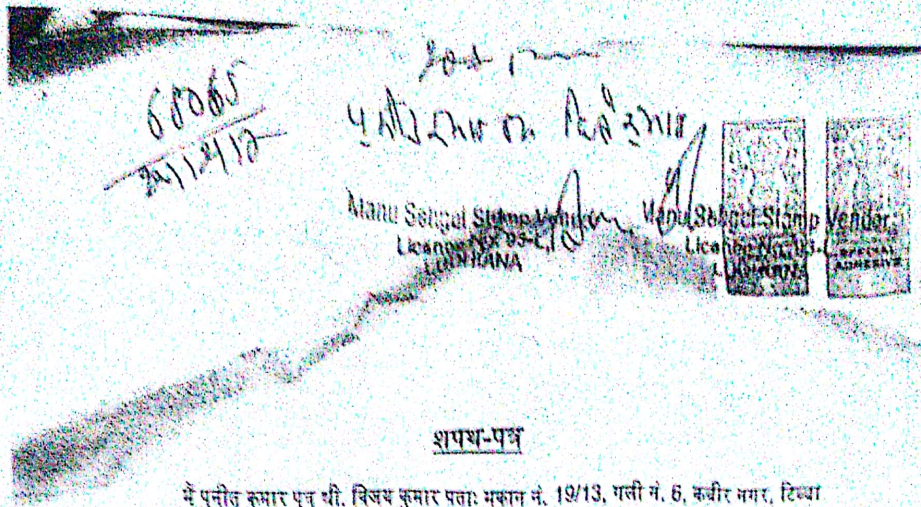
- | | |
|------------------------------------|--|
| • DIG/SSP LUDHIANA | • Governor of Punjab |
| • Bureau of Investigation, Pb. Chg | • CBI Director |
| • DGP/Punjab | • Punjab State Human Rights Commission |

P-13
(51)

Call record details of the telephone conversations held on 19.08.217
in the case related to illegal detention

क्र.	समय	किस मोब. व किस व्यक्ति ने फोन किया	किस नं. पर किसको फोन किया	फाइल का नाम	विवरण जरूरी है या नहीं	विवरण का पेज संवर	संक्षिप्त विवरण	टिप्पणियाँ
1.	6.11am	98153331427 अनुपम ठाकुर	9920913965 Sonika Krantiveer (call divert to 9920913897)	In MUKESH THAKUR (+919815331427) 06-11-31 19-08-2017	Yes	17 	Information was given that at 5.00 am ASI Swarn Singh and policemen accompanying him took away Mukesh holding his neck and collar.	Accused of whistle blower Swarn Singh shredded the Constitution by resorting to hoodliganism with the intent of revenge.
2.	6.13am	9920913965 Sonika Krantiveer	98153331427 अनुपम ठाकुर	In MUKESH THAKUR (+919815331427) 06-13-34 19-08-2017	Yes	18 	All the information that could be collected in the matter of picking up of Mukesh and Lucky by police illegally was collected.	The whole case of complaint made against corrupt police officers and personnel and the game of hoodliganism played by police was heard and understood.
3.	6.17am	98153331427	9920913965 Sonika Krantiveer	In MUKESH THAKUR (+919815331427) 06-17-35 19-08-2017	Not required		This was understood that accused of the complaint made by the victim themselves have filed a new false FIR.	A new game must have been played by the accused who had committed fraud through Paytm must have played that new game in collusion with police.
4.	6.20am	9920913965 Shiv Narayan Sharma	7837018615 SHO (P.S. Basti Jodhpewal)	Out Unknown Contact (7837018615) 06-20-47 19-08-2017	Yes	19 	It was informed that Mukesh Thakur was picked up by ASI Swarn Singh, who had been accused by him, and when reason was asked, it was told that they would tell after reaching the police station.	It was informed by the SHO that complete information was given after reaching the police station.
5.	6.29am	+917973571454	9920913965 Sonika Krantiveer	In Anupam Thakur Ldh (+917973571454) 06-29-57 19-08-2017	Not required		Call was not completed.	Call was not completed.

P-14
(90)



शपथ-पत्र

मैं पुनीत कुमार पुत्र श्री. विजय कुमार पता: भक्तान नं. 19/13, गली नं. 6, कबीर नगर, टिब्बा रोड, लुधियाना का रहनेवाला हूँ।

मैं मुकेश ठाकुर पुत्र स्व. इन्द्रकांत ठाकुर (पता: भक्तान नं. 14060, गली नं. 2, राम नगर, टिब्बा रोड, लुधियाना) को बचपन से जानता हूँ क्योंकि वो मेरा बचपन का दोस्त है। मुकेश ठाकुर कई सामाजिक संगठनों (भ्रष्टाचार विरुद्ध जागृति अभियान, जज एडवोकेट पीडित ऑर्गेनायझेशन, लुधियाना फोरम फॉर फास्ट जस्टिस आदि) से जुड़ा हुआ है और उसने कई सामाजिक कार्य किये हैं साथ ही वह पीडीतों व शोषितों की मदद के लिये वह हमेशा आगे रहता है।

पीडित जयहिंद गुप्ता के Paytm खाते से पैसा चोरी कर लिया गया था जिसके मामले में उसने नदतों के माध्यम सभी विभागों में शिकायतें दी थीं मगर पुलिस विभाग द्वारा संचालित होने के बावजूद Paytm मामले में आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई बल्कि शिकायत करने के बाद बदला लेने व अपना स्वतंत्रता दिखाने के लिये आरोपियों व उसके परिवार ने पुलिस के साथ मिलकर मुकेश व जयहिंद पर ही 3-3 झूठी FIR (DDR No. 23/2017 दिनांक 22.06.2017, F.I.R. No. 236/2017 दिनांक 23.06.2017, F.I.R. No. 0343/2017 दिनांक 19.08.2017) दर्ज करवा दी।

जिसमें F.I.R. No. 0343/2017 दिनांक 19.08.2017 में जो चार्जशीट अदालत में दाखिल की गई है उसमें मेरे नाम का भी उल्लेख किया गया है, उसमें बताया गया है कि FIR के जाँच अधिकारी सुलतखन सिंह ने मुझे बताया था कि, वे मुकेश ठाकुर व जयहिंद गुप्ता को इस FIR के मामले में गिरफ्तार कर रहे हैं।

अतः मैं शपथ पूर्वक यह कहना चाहता हूँ कि मुझे कभी भी जाँच अधिकारी सुलतखन सिंह द्वारा यह नहीं बताया गया कि वे मुकेश गिरफ्तार कर रहे हैं और किस अपराध में गिरफ्तार कर रहे हैं। जहाँ तक मुझे मालूम है कि जिस वक्त मुकेश का पुलिस अधिकारियों द्वारा गैर-कानूनी तरीके से बिना कागजात दिखाये व जानकारी दिये अपहरण किया था वह समय 19.08.2017 की सुबह 5.30 से 6.00 बजे के बीच का है क्योंकि उसी दिन सुबह-सुबह ही लगभग 6.00 बजे के आसपास मुकेश की पत्नी अनुपम द्वारा मुझे फोन करके यह जानकारी दी गई थी कि पुलिस द्वारा जबरदस्ती गैरन पकड़कर घर से उठाकर ले गए हैं जिसकी कॉल डीटेल अगर निकाली जायेगी तो उससे यह पुष्टि हो जायेगी।

मैं आश्चर्यचकित रह गया जब मैंने देखा कि पुलिस अपने आपको बचाने के लिये मेरे नाम का इस्तेमाल मेरे दोस्त के खिलाफ कर रही है इसी वजह से मैं यह शपथ-पत्र दे रहा हूँ कि पुलिस शूठ बोल रही है उन्होंने मुझसे कभी भी मुकेश ठाकुर के मामले (FIR 343/2017) में संपर्क नहीं किया और ना ही किसी भी प्रकार के कोई भी कागजात या FIR की कॉपी दी।

मैं ऊपर लिखी बातों को सत्यापित करता हूँ।



P0102010036820
Notary Public for the State of Punjab
Ludhiana Dist. (Pb.)

Signature Attested
PUBLIC
Ludhiana Dist. (Pb.)

30 DEC 2017

Punier Kumar
पुनीत कुमार
मो. 99888-76425

P-15
(91)

ਦਫਤਰ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਲੁਧਿਆਣਾ।

ਵੱਲ,

ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ-ਕਮ-
ਪਬਲਿਕ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ,
ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਲੁਧਿਆਣਾ।

ਵੱਲ,

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨੀਲਮ ਝਾਅ ਪਤਨੀ ਧਰਮਕਾਂਤ ਝਾਅ,
ਮਕਾਨ ਨੰ:14060, ਗਲੀ ਨੰ:2, ਰਾਮ ਨਗਰ,
ਟਿਬਾ ਰੋਡ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ-141007.

ਨੰ: 15266 (R.T.I) ਮਿਤੀ 26/12/12

ਵਿਸ਼ਾ:-

ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸੂਚਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ।

ਉਪੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧੀਨ ਸੂਚਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪ ਦਾ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਜੋ ਇਸ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਵਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਆਪ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਹਵਾਲਾਤੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਪੁੱਤਰ ਇੰਦਰਕਾਂਤ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀ ਲੱਕੀ ਉਰਫ ਜੈ ਹਿੰਦ ਪੁੱਤਰ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਰਡ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਭਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹਿੱਤ ਹੈ।

ਨੱਥੀ :- 01 ਪੰਨੇ

First Appellate Authority
Amrik Singh, PPS
Superintendent central Jail Ludhiana.
Mob No: 9779800078
email: rtiofficejldh@yahoo.co.in
Public Information Officer
Narpinder Singh, PPS
Deputy Superintendent
central Jail Ludhiana.
Mob No: 98726-67259
Asstt. Public Information Officer
Parvinder Singh Asstt. Superintendent
central Jail Ludhiana.
Mob No: 81461-94660

26/12/12
ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ-ਕਮ-
ਪਬਲਿਕ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ,
ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਲੁਧਿਆਣਾ।

92

Case no. FIR NO 343 dt 19/08/17, 379 B(2), 506, 1208 RE. PS Bant Jadhav Gd.

5ex 17 Thump impression 15 Father/Husband

Name Indira Konth Thakur Date & Time of admission in the prison.....

Identification

remarks: 0.36 x 0.5m 20mm *on the lateral aspect of right eyebrow*

Previous History of illness

Previous History of illness

Are you suffering from any diseases Yes / No

If so, the name of the disease

Are you now taking medicines for the same Yes / No

Are you suffering from cough that has lasted Yes / ~~No~~

For 3 weeks or more

History of drug abuse if any

Any information that the prisoner may volunteer

Physical Examination

Height 5.1 cms, Weight 40 Kg, Last Menstruation.....

- | | | |
|---------------------------|---|---------------------|
| 1. Pallor | : | Yes / No |
| 2. Lymph node enlargement | : | Yes / No |
| 3. Clubbing | : | Yes / No |
| 4. Cyanosis | : | Yes / No |
| Leterus | : | Yes / No |
| Injury, if any | : | Yes / No |

Blood test Hepatitis/ STD including HIV (with the informed consent of the prisoner)

Whenever required by law)

Any other..... CASE / VOLUME / PAGE / LINE / ETC.

System- Examination

1. Nervous system
2. Cardio Vascular system
3. Respiratory system
4. Eye, ENT
5. Gastric Intestinal system abdomen
6. Teeth Gum
7. Urinary/ Genital System
8. Mental and Psychological status

The Medical examination and Investigations were conducted with consent of the prisoner after explaining to him/ her that it was necessary for diagnosis and treatment of the disease from which/ he /she may be suffering.

Date of commencement of medical investigation 20/9/17

Date of completion of medical investigation

8/17
R
8/17
MEDICAL OFFICER

Chander Kala Vs. State of Punjab

Present: Applicant Chander Kala in person.

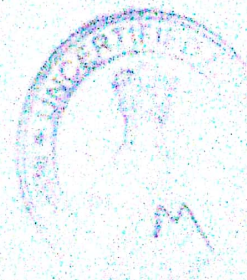
An application moved on behalf of applicant Chander Kala against the police officials of PS Basti Jodhewal, Ludhiana before me being Duty Magistrate for illegally detaining her son Mukesh Thakur and his friend Lucky Gupta @ Jai Hind submitting that they have been arrested yesterday by police without any reason or rhyme and till date no FIR has been registered against them. Heard. Let, report from SHO, PS Basti Jodhewal, Ludhiana be called for 21.08.2017. Papers be sent to Ld. concerned court immediately.

(Chander Kala)

(Unique Identity Code: PB0463)

Mains

JMIC(D)/Ldh/20.08.2017



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

 मुकेश ठाकुर
Mukesh Thakur
जन्म तिथि/ DOB: 27/11/1989
पुल्ल / MALE



3949 1519 5837



भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

पता:
S/O: इन्द्रा कान्त ठाकुर,
14060, 2, टिब्बा मार्ग, राम
नगर, बजरा, लुधियाना,
पंजाब - 141007

Address:
S/O: Indra Kant Thakur, 14060, 2,
Tibba road, ram nagar, Bagra,
Ludhiana,
Punjab - 141007

3949 1519 5837

Mukesh Thakur